सुशासन अभी!

IRRAD™

मूलभूत सेवाओं से

सम्बन्धित सरकारी योजनायें व कार्यक्रम

— मार्गदर्शिका

इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल रिसर्च एण्ड डॅवलपमेंट
(एस.एम. सहगल फाउंडेशन का प्रयास)

f}rh; la'kksfèkr laLdj.k] 2010

मूलभूत सेवाओं से सम्बन्धित सरकारी योजनायें व कार्यक्रम – मार्गदर्शिका

विषय सूची

आमुख 4

मध्याह्न भोजन योजना (मिड–डे–मील) 5

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून (मनरेगा) 10

वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन, बेरोजगारी भत्ता व
पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित मानदेय 17

सार्वजनिक वितरण प्रणाली 18

इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) 23

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) 25

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन व स्वास्थ्य से सम्बन्धित योजनाएं (एन.आर.एच.एम.)... 30

समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.) 36

इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना 46

ग्राम शिक्षा समिति, सर्व–शिक्षा अभियान, ग्रामीण निर्माण समिति,
शिक्षक अभिभावक समिति व शिक्षा से सम्बन्धित योजनाएं (वी.इ.सी.,
एस.एस.ए., वी.सी.सी. व पी.टी.ए.) 47

आमुख

प्रस्तुत पुस्तिका विशेष रूप से ग्रामीणों के लिए तैयार की गई है ताकि उन्हें उन अधिकारों व कर्त्तव्यों संबंधी जरूरी जानकारियाँ व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध कराई जा सकें, जिसके वे हकदार हैं, पिछले पांच वर्षों के दौरान कई सरकारी कार्यक्रमों को लागू किया गया। मौजूदा योजनाओं के उद्देश्यों में आमूल–चल परिवर्तन किये गये हैं।

इस पुस्तिका के माध्यम से एस.एम. सहगल फाउंडेशन द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल रिसर्च एण्ड डॅवलपमेंट (इराद) के नीति, शासन व जनवकालत केन्द्र ने कुछ मूलभूत सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी सरल भाषा में देने का प्रयास किया है व इसमें विशेष रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, आंगनवाड़ी, मनरेगा, शिक्षा व स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी कार्यक्रम के प्रावधानों को संकलित किया गया हैं। इन सभी कार्यक्रमों को सुचारु रूप से चलाने के लिये व्यापक आंदोलन की जरूरत हैं। आशा है कि ग्रामीण जन इस पुस्तिका से उपयुक्त सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर इनके प्रभावी क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी कर सकेंगे।

अंत में, मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि यह पुस्तिका हमारे संस्थान का एक सामूहिक प्रयास हैं, हमारे सारे प्रयासों के बाद भी इसमें सुधार की कुछ ना कुछ गुंजाईश अभी भी अवश्य होगी। अतः आपसे आग्रह है कि पुस्तक की विषय–वस्तु और सामग्री के बारे में अपने विचार व सुझाव हमें अवश्य भेजें ताकि हम इसमें आगे और सुधार ला सके तथा इसे अधिक गुणवत्तापूर्ण बना सकें।

जय सहगल
कार्यकारी निदेशक

मध्याह्न भोजन योजना (मिड–डे–मील)

6–14 आयुवर्ग के स्कूली बच्चों (शहरी एवं ग्रामीण) के लिए संचालित की जा रही इस स्कीम का उद्देश्य स्कूल में बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी तथा बच्चों को पोषण आहार के साथ ही साथ इस योजना के सामाजिक उद्देश्य भी है। बच्चों के साथ–साथ पढ़ने और साथ में भोजन करने से जाति भेद की रूढ़ियाँ कम होती हैं तथा समाप्त होती हैं। मिड डे मील योजना के द्वारा सामाजिक जेंडर के भेदभाव को भी कम करने में मदद मिलती है।

- संसार का सबसे बड़ा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
- भारत वर्ष में कार्यक्रम की शुरूआत –15 अगस्त 1995 में व हरियाणा में 15 अगस्त 2004 से।
- 6–14 आयुवर्ग के स्कूली बच्चों के लिए
- सुप्रीम कोर्ट ने नवम्बर 2001 मे सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि सभी प्राथमिक स्कूलो में पके हुए भोजन की व्यवस्था करे
- 15 करोड़ बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं
- इसके अंतर्गत बच्चो को पका हुआ भोजन देने के लिए हरियाणा सरकार ने 5 प्रकार से खाद्य पदार्थ निर्धारित किये है – दलिया, मीठे चावल, शाकाहारी पुलाव, बाकली व खिचड़ी
- एक वर्ष मे कम से कम 200 दिनो तक प्रत्येक कार्य दिवस पर ताजा पकाया भोजन
- कार्यक्रम का विस्तार पहली से आठवीं कक्षा तक, प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) व उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)
- प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के भोजन में 450 कैलोरी व 12 ग्रा0 प्रोटीन आवश्यक
- उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के भोजन मे 700 कैलोरी व 20 ग्रा0 प्रोटीन आवश्यक
- प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चें को 100 ग्रा0 अनाज प्रतिदिन
- उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को 150 ग्रा0 अनाज प्रतिदिन
- पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित योजना
- सभी खाना पकाने वाली महिलांए होनी चाहिए व दलितो व विधवाओं को वरीयता दी जाएंगी
- स्कूलो में 25 विद्यार्थीयों की संख्या पर एक महिला खाना बनाने के लिए
- 25–100 विद्यार्थीयों की संख्या पर 2 महिला खाना बनाने के लिए
- प्रत्येक 100 अतिरिक्त विद्यार्थीयों की संख्या पर 1 अतिरिक्त महिला खाना बनाने के लिए

- खाने बनाने का मेहनताना – 1000 रु. प्रति महीना
- खाना बनाने वाली महिलाओ की नियुक्ति जिला प्रशासन, पंचायत व स्कूल के मुख्याध्यापक द्वारा की जाती है
- शहरी स्कूलो में रसोईघर शेड का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (एन. एस. डी. पी.) व शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम (यू. डब्लू. ई. पी.) जो स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना के घटक है से धन की प्राप्ति की जा सकती है
- वर्तमान स्कूलो व सभी नये स्कूलो में रसोईघर शेड के निर्माण के लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' के तहत अनुमति है
- प्रत्येक स्कूल को सर्व शिक्षा अभियान के तहत रसोई का समान (गैस चूल्हा, राशन रखने का बर्तन, खाना बनाने व बांटने के बर्तन) खरीदने के लिए प्रत्येक वर्ष 5000 रू. की ग्रांट का प्रावधान है
- यह योजना सभी सरकारी स्कूलों, मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना व वैकल्पिक अभिनव शिक्षा योजना के तहत चल रहे केन्द्रो में पढ़नें वाले बच्चों पर लागू होती है
- सूखा घोषित क्षेत्र में गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी यह योजना बन्द नहीं होगी।
- भोजन प्रोटीन, कार्बोहाईड्रेट, विटामिन ए, आयोडीन व आयरन से भरपूर
- खाना परोसने व खाने का निर्धारित समय – 40 मिनट
- गेंहू व चावल की आपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा कानफेड के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से मुफ्त की जाती है
- अतिरिक्त उपायुक्त (ए.डी.सी.) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाता है जो जरूरी समान की खरीदारी निर्धारित करती हैं
- बजट 2009–2010 में मध्याह्न भोजन योजना के लिए 8000 करोड़ रू. का प्रावधान है
- हरियाणा में 1626246 बच्चे प्राथमिक स्तर पर योजना से लाभान्वित हैं
- हरियाणा में 757117 बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर योजना से लााभान्वित है
- मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर व्यय– 2.50रू. प्रति बच्चा प्रतिदिन
- मिड डे मील कार्यक्रम कें अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यय – 3.75रू. प्रति बच्चा प्रतिदिन

महत्वपूर्ण सामग्री

- मीठे चावल – चावल, गुड़, सोयाबीन
- शाकाहारी पुलाव – चावल, हरी सब्जियां, (मटर प्याज), गिरी, तेल जीरा, नमक,
- पौष्टिक खिचड़ी – चावल, मूंग की दाल, तेल, तिल, नमक
- पौष्टिक दलिया – दलिया, सोयाबीन, घी, गुड़,
- बाखली – गेहूं, चना, घी, गिरी, आलू, हरा धनिया, नमक
- सप्ताह में एक दिन खीर व पुड़े
- हरियाणा के लिये वर्ष 2009 में मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत 100 करोड़ रूपये का प्रावधान है – प्राथमिक स्तर पर –60 करोड़ रू. उच्च प्राथमिक स्तर पर 40 करोड रू.
- हरियाणा राज्य का मिड डे मील स्कीम मे योगदान –37.96 करोड रू. (प्राथमिक स्तर पर –22.52 करोड़ रू., उच्च प्राथमिक स्तर पर 15.44 करोड रू.) है
- मिड डे मील स्कीम पर राज्य सरकार जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निगरानी रखती है व इन्हें निर्देश होता है कि महीनें में कम से कम 25 स्कूलों में व 1 साल में सभी स्कूलों में निरीक्षण करें ।
- बच्चे अपनी प्लेट/बर्तन स्वंय लाते हैं
- खाना बनाने में सिर्फ आयोडाईज्ड नमक का प्रयोग होगा ।
- राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि 1 महीनें का राशन का स्टाक व खाना बनाने मे होने वाले व्यय की व्यवस्था प्रत्येक स्कूल में उपलब्ध हो
- स्कूलों व संस्थाओं के मुख्य अध्यापकों को हरी सब्जियां, ईंधन व खाना बनाने वालों को समय से वेतन देने के लिये 5,000 रू. से 12,500 रू. तक अग्रिम लेने का प्रावधान है
- स्कूलों में इस योजना में कोई व्यवधान न हो, इसलिये जब राशन समय पर उपलब्ध नही होता है तो यह स्थानीय स्तर पर उधार ले लिया जाता है व राशन की उपलब्धता होते ही वापिस कर दिया जाता है
- राज्य सरकार ने कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय को सम्पूर्ण राज्य में मिड डे मील स्कीम के मूल्याकंन के लिए अधिकृत किया है
- ग्राम शिक्षा समिति/अभिभावक अध्यापक समिति के दो सदस्य प्रत्येक दिन खाने के समय उपस्थित होने चाहिए
- प्रत्येक स्कूल में प्रतिदिन इस स्कीम का लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति रजिस्टर, राशन के लिए स्टाक बुक व कैश बुक का होना अनिवार्य है
- जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि भारतीय खाद्य निगम अच्छी गुणवता के राशन को स्कूलों में वितरित करे
- माताओं को खाना पकाने व परोसने के समय पर स्कूल में निरीक्षण करना चाहिए
- गांव में महिलाओं की स्थिति मजबूत करने व उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार में खाना पकाने की जिम्मेदारी बी.पी.एल. ग्रुप की महिलाओं को दी है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत सभी स्कूलों को पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करनी होगी...

- प्राप्त अनाज की मात्रा...तिथि..
- अनाज का प्रयोग..मात्रा
- खरीदी व प्रयोग की गई सामग्री .... मात्रा
- कुल बच्चों को दिया गया भोजन ....संख्या
- प्रतिदिन व्यंजन सूची ....
- मिड डे मील योजना से जुड़े सामुदायिक सदस्य (नाम) ....

मूलभूत आवश्यक तत्व

- रसोई घर व स्टोर, पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता –पीने, खाना पकानें, व बर्तन धोने के लिए, राशन व अन्य समान को रखने के लिए डिब्बे, खाना बनाने व परोसने के लिए बर्तन

उद्देश्य

- सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य – सार्वभौमिक योजना
- स्कूलो में उपस्थिति को बढ़ाने में मदद
- बच्चों की पोषण की स्थिति सुधारने में सहायक
- पढ़ाई को बीच मे छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना
- महिलाओ को रोजगार प्रदान करना
- विभिन्न वर्गो और जातियो के बच्चों द्वारा एक साथ इकट्ठा खाना खाने से समानता की भावना विकसित करवाना व जाति–पाति भेदभाव को दूर करना
- प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों का शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ाना
- शिक्षा मे लिंगानुपात की असमानता दूर करना व लड़कियों की उपस्थिति को बढ़ाना
- समाज के गरीब बच्चों के लिए वरदान
- स्वच्छ तरीके से भोजन को उपलब्ध करवाना
- समाज के कमजोर वर्गो पर विशेष ध्यान देने के साथ माध्यमिक शिक्षा तक पहुॅच प्रदान करने के लिए

कमियाँ

- बुनियादी ढांचे की कमी
- स्वच्छता के प्रति ध्यान का अभाव
- खाद्यान्नों की अपर्याप्त मात्रा में आपूर्ति
- जनता में जागरूकता की कमी
- स्कूलों में खाना बनाने के स्थान की आवश्यकता से कम संख्या में उपलब्धता
- खाने की गुणवता में कमी
- खाद्य सामग्री अक्सर बाजार में बेच दी जाती है
- सरपंच व पंच भिन्न – भिन्न दिनो पर स्कूलो में जाकर सुनिश्चित करें कि मिड–डे–मील स्कीम के अंतर्गत बच्चों को स्वच्छ एंव पौष्टिक खाना नियमित रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून (मनरेगा)

हरियाणा राज्य में यह स्कीम हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम, 2005 कही जा सकती है

उद्देश्य

- इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अपने आप अकुशल शारीरिक कार्य करते हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी/रोजगार की गारण्टी के साथ पूरे वर्ष रोजगार उपलब्ध कराते हुए हरियाणा के अधिसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में परिवारों की जीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना है
- इस स्कीम का द्वितीय उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी, सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजन और संरचनात्मक विकास करना है

राज्य का नोडल विभाग

- राज्य स्तर पर राज्य का ग्रामीण विकास विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण होगा
- ग्राम स्तर पर यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं द्वारा, ब्लाक स्तर पर ब्लाक समिति द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम कोआर्डिनेटर के द्वारा संचालित किया जाता है

जिले जहॉ कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है

- हरियाणा में सभी जिलों के ग्रामीण इलाकों के लिए जो किसी भी नगर निगम या छावनी बोर्ड के कार्य क्षेत्र में नहीं है
- एक परिवार को एक वित्तीय साल में कम से कम 100 दिन का काम पाने का अधिकार है
- काम न दिए जाने पर रोज के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है

लक्ष्य समूह एवं उनका चिन्हीकरण

- यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण परिवारों, जिन्हे मजदूरी/रोजगार की आवश्यकता है तथा अपने गांव/निवास में चारो ओर शारीरिक तथा अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं के लिए प्रभावी होगा

- आवेदक जिस गांव मे निवास करता है को रोजगार –मजदूरी उस गांव की 5 किलोमीटर परिधि के अंदर उपलब्ध कराने का यथा संभव प्रयास किया जायेगा
- यदि रोजगार ऐसी परिधि से बाहर उपलब्ध कराया जाता है तो वह ब्लाक के अंदर उपलब्ध कराया जाना चाहिए और श्रमिकों को मजदूरी दर का दस प्रतिशत परिवहन तथा आवासीय खर्च को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में अदा किया जायेगा
- रोजगार की अवधि साधरणतया लगातार कम से कम चौदह दिनों की होगी जो एक सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए
- इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता उन कार्यो को दी जायेगी जहां मजदूरी तलाश करने वाले में कम से कम एक तिहाई महिलायें होगी जो पंजीकृत हैं तथा जिन्होने कार्य के लिए अनुरोध किया है

रोजगार हेतु पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतू निम्न योग्यतायें निर्धारित की गयी है –

- पंचायत का स्थानीय निवासी हो
- स्थानीय पंचायत में परिवार के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराये या करा चुका हो
- ग्राम पंचायत से जाब कार्ड प्राप्त करें तथा कार्य के लिए आवेदन करें
- पंजीकरण वर्ष भर किया जायेगा

रोजगार किसे मिल सकता है

- परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो और अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए राजी हो
- परिवार के सभी सदस्य मिल कर 100 दिन का काम पाने का हक रखते है – एक को 100 दिन का काम या दो और दो से ज्यादा बालिग सदस्यों को मिल कर 100 दिन का काम पाने का हक है

रोजगार कार्ड

- परिवार के मुखिया को अपने इलाके की ग्राम पंचायत में अर्जी देनी होगी, जिसमें परिवार के सभी बालिग सदस्यों के नाम और उम्र के साथ अपना पता दिया होना चाहिए
- पंचायत अर्जी मे लिखे ब्यौरे की जांच करके परिवार का नाम रजिस्टर कर उसे रोजगार कार्ड जारी करेगी
- रोजगार कार्ड परिवार की अर्जी के 15 दिन के अंदर जारी होना चाहिए

- कार्ड में परिवार के सभी बालिग सदस्यों के नाम और उम्र के साथ उनका फोटो भी लगा होना चाहिए
- रोजगार कार्ड कम से कम 5 साल के लिए जारी किए जाएंगे व समय – समय पर इनका नवीनीकरण किया जा सकता है
- कार्ड बनाने के लिए पंचायत या सरपंच कोई पैसा नही ले सकते हैं

काम लेने के लिए अर्जी

- रोजगार कार्ड बन जाने के बाद काम पाने के लिए अर्जी देनी होगी व परिवार का कोई भी सदस्य जिसका नाम कार्ड में हो अर्जी दे सकता है
- अर्जी ग्राम पंचायत या योजना अधिकारी को देना होगा व पंचायत या योजना अधिकारी उसको अर्जी प्राप्ति की तारीख वाली रसीद देगें व इसे लेना भूलना नही चाहिए
- जब भी किसी आदमी या औरत को काम चाहिए तो उसे काम कि लिए नई अर्जी देनी होगी
- अर्जी कम से कम 14 दिन लगातार काम के लिए होनी चाहिए
- काम अर्जी देने के 15 दिन के अंदर ही दिया जाना चाहिए, यदि पहले से ही निश्चित समय पर काम मांगा गया है तो उसी समय पर काम देना होगा
- रोजगार कार्ड में दिए गए पते पर अर्जी करने वाले को एक पत्र डाला जाएगा कि उसे कब और कहां पर काम के लिए पहुंचना है व इसके अलावा जिला, ब्लाक और ग्राम पंचायत के कार्यालय पर भी इसका नोटिस लगाया जाएगा
- मजदूरी सीधे काम करने वाले को व हर एक को काम के हिसाब से ही देनी होगी
- मजदूरी राज्य सरकारों द्वारा खेतिहर मजदूर की न्यूनतम मजदूरी के बराबर या केंद्रीय सरकार द्वारा निश्चित दर से देनी होगी, हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी 167/– रू. प्रतिदिन है
- मजदूरी की दर निश्चित काम की मात्रा पर भी तय की जा सकती है व काम की मात्रा किसी भी आम मजदूर द्वारा 7 घंटे काम करने के बराबर हो
- एक जैसे काम के लिए महिलाओं व पुरूषों को एक समान मजदूरी मिलेगी
- मजदूरी हर हफ्ते के हिसाब से दी जानी चाहिए और किसी भी सूरत में काम किए जाने के 15 दिन के अदंर ही दे दी जानी चाहिए
- हर हफ्ते के काम में एक दिन की छुट्‌टी रहेंगी

काम करने की जगह पर दी जाने वाली सुविधाएँ

- पीने के लिए साफ पानी
- बच्चों के लिए छायादार जगह
- आराम का समय
- छोटी–मोटी चोट के लिए इलाज का इंतजाम
- अगर काम पर आई औरतो के साथ 6 साल से छोटी उम्र के 5 से ज्यादा बच्चे हो, तो उनकी देखभाल के लिए एक महिला को रखना होगा व उसे भी दूसरे कामगारों के बराबर ही मजदूरी देनी होगी
- काम के दौरान चोट लगने पर इलाज मुफ्त कराया जाएगा व अस्पताल में रहने, दवा और इलाज के खर्च के साथ ही उसकी मजदूरी का कम से कम आधा दैनिक भत्ते के रूप में देना होगा
- यदि काम करते हुए किसी की मौत हो जाए या वह अपंग हो जाए तो उसके कानूनी वारिस को या उसे 25000/– रू. या केंद्रीय सरकार द्वारा निश्चित मुआवजा दिया जाएगा
- अगर काम पर साथ आए बच्चों में से किसी को चोट लग जाए तो उसका इलाज मुफ्त कराया जाएगा व बच्चे की मौत हो जाए या वह अपंग हो जाए तो कामगार राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई दर से मुआवजा पाने का हकदार होगा
- कोई काम नहीं चल रहा है या मजदूरी की जरूरत नहीं है या कोई नया काम शुरू करने के लिए लोग कम है आदि कारणों से किसी को काम या बेरोजगारी भत्ते से इन्कार नहीं किया जा सकता
- अगर अर्जी देने पर भी 15 दिन के अंदर काम न किया जाए या पहले से अर्जी दिए रहने पर भी उन्हें समय पर काम न दिया जा सके तो वह रोजना के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार होंगे
- बेरोजगारी भत्ता लागू होने के 15 दिन के अंदर देना होगा
- इसका भुगतान योजना अधिकारी या ग्राम पंचायत या फिर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी करेगा
- इसका भुगतान भी सीधे काम मांगने वाले को ही किया जाएगा
- अगर योजना अधिकारी बेरोजगारी भत्ता नहीं दे या फिर उसके भुगतान में देरी होगी, तो वह इस जानकारी को ग्राम पंचायत के दफ्तर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस के रूप में लगवाएगा।

बेरोजगारी भत्ते की दर

- राज्य सरकारों द्वारा तय की जाएगी, लेकिन वह किसी भी हालत में नीचे दी गई शर्तो से कम नही होगीः–
- पहले 30 दिन के काम की दर से एक चौथोई या
- वित्तीय साल के बाकी के काम के दिनों की दर की आधी रकम

बेरोजगारी भत्ता देना बंद हो जाएगा, जब

- काम के लिए अर्जी देने वाले को ग्राम पंचायत या योजना अधिकारी काम पर आने के लिए कहे या उसी परिवार के किसी दूसरे बालिग सदस्य को काम पर भेजने के लिए कहे या जितने समय के लिए काम मांगा गया था वह खत्म हो जाए और परिवार का कोई भी सदस्य काम पर न आया हो या परिवार को वित्तीय साल में 100 दिन का काम दिया जा चुका हो
- परिवार का मजदूरी और बेरोजगारी भत्ता मिला कर वित्तीय साल में 100 दिन की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका हो

बेरोजगारी भत्ता पाने का हक किन हालात में नही होगा

- वह और उसका परिवार दिए गए काम को करने से इंकार करें
- काम पर बुलाए जाने पर भी 15 दिन में काम पर हाजिर न हो
- काम से एक हफ्ते तक गैर –हाजिर रहा हो या उसने बिना बताए और इजाजत लिए बिना महीने में एक हफ्ते से ज्यादा की छुट्‌टी की हो
- लेकिन वह दोबारा काम के लिए अर्जी कर सकता है
- काम, मजदूरी बेरोजगारी भत्ते आदि से जुड़ी शिकायतें, योजना अधिकारी के पास की जा सकती है व इन्हे शिकायत रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा इस पर 7 दिनों के अंदर कार्यवाही की जाएगी या शिकायत को संबन्धित अधिकारी के पास भेजा जाएगा, ये उपायुक्त या जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी हो सकते है
- योजना अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत को उसके यहां चल रहे कामों का मस्टर रोल दिया जाएगा यानि मजदूरी की सूची
- मस्टर रोल को पंचायत के दफ्तर में रखा जाना चाहिए ताकि कोई भी इसकी जांच कर सके कि किस काम के लिये किन लोगो को रखा गया और उन्हें कितनी मजदूरी दी गई
- कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के दफ्तर मे रखा रोजगार योजना का रजिस्टर देख सकता है व इसमें योजना से जुड़ी सभी जानकारी दर्ज रहनी चाहिए जैसे कि रोजगार –कार्ड, पास –बुक, परिवारों के मुखिया का नाम, उम्र और पता व उसके परिवार के सभी बालिग सदस्यों की गिनती आदि

- ग्राम सभा को भी ग्राम पंचायत के सभी काम–काज की जांच करते रहना चाहिए, सभी मस्टर रोलों, बिलों, व पैमाइश के दस्तावेजों को पंचायत द्वारा ग्राम सभा को सार्वजनिक जांच के लिए सौंप देना चाहिए
- प्रत्येक ग्राम पंचायत परियोजना के शुरू करने की तिथि तथा पूर्ण करने की तिथि, अन्तवर्लित लागत, प्राप्त किया गया लाभ, सृजित रोजगार तथा अन्य सम्बद्ध ब्यौरो का विवरण देते हुए कार्यक्रम के अधीन सृजित परिसम्पतियों की सम्पूर्ण सम्पति सूची बनाए रखेगी, इनके विस्तृत विवरण देते हुए कार्यो के नजदीक प्रदर्शित करेगी
- ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में किए जा सकने वाले कार्यो की योजना बनाएगी व उसमें ग्राम सभा और वार्ड कमेटी की भी राय ली जाएगी
- इन कार्यो को ठेके पर नही कराया जाएगा व नई योजना तब ही शुरू की जाएगी, जबकि इसके लिए कम से कम 50 लोग मौजूद हो व जिन्हे किसी चालू काम में न लगाया जा सकता हो
- जहां तक मुमकिन हो काम बिना मशीनों के शारिरिक श्रम से ही किया जाएगा, श्रम विस्थापन मशीनों पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा
- इस कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 1000/–रू. तक जुर्माना किया जा सकता है
- स्कीम का अलग से बैंक में खाता खोलना
- खाता सरपंच, सचिव व पंच के नाम संयुक्त रूप से होगा
- योजना के अंतर्गत होने वाले सभी भुगतानों की जानकारी ग्राम पंचायत की अगली बैठक में रखकर अनुमोदन करवाना
- खाते में उपलब्ध धन को योजना के विभिन्न कार्यो पर व्यय करने से पहले अधिकारियों से आवश्यक प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना होगा
- बिना स्वीकृति के खर्च करने के लिए सरपंच व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा
- योजना से संबंधित सभी खातों को पूर्व निर्धारित प्रारूप के अनुसार जांच पड़ताल के लिए छमाही सामाजिक आडिट बैठक में रखना होगा
- योजना के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान को किसी अन्य कार्य में इस्तेमाल न करना
- कार्यक्रम की देखरेख करने के उद्देश्य से स्थानीय समुदाय को शामिल करने के लिये प्रत्येक गांव में स्थानीय निगरानी एवं सतर्कता समितियां गठित की जायेंगी
- जिला उपायुक्त, कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत अपने–2 अधिकार क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगें और उसकी एक प्रति जनता की मांग पर निर्धारित फीस जमा करने के उपरांत देगें
- पंचायत समिति स्तर पर बी.डी.पी.ओ. पंचायत समिति को कार्यक्रम अधिकारी नामांकित किया जायेगा
- ग्राम पंचायत योजना की कुल लागत के 50 प्रतिशत राशि के काम करायेगी

- पंचायत समिति एवं जिला परिषद्, अन्य काम करने वाले विभागो, अन्य सरकारी एजेंसियों, स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा शेष 50 प्रतिशत कार्य किया जा सकता है

प्रमुख कार्य :– इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यो को आगे लिखित वरीयता क्रम में किया जायेगा

- जल संरक्षण या जल संग्रहण की योजना
- सूखा बचाव कार्य जैसे पेड़ लगाना या वनों का विकास करना
- सिंचाई के लिए नहरें बनाना
- अनुसूचित जातियों/जन जातियों या भूमि सुधार से लाभ पाने वालों के लिए सिंचाई की व्यवस्था
- झीलों और तालाबों की सफाई, मरम्मत और पुननिर्माण का कार्य
- भूमि सुधार का कार्य व गांवों को सड़क से जोड़ने का कार्य
- बाढ़ नियंत्रण– सुरक्षा, जल जमाव क्षेत्रों में जल निकासी

सामजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान

- ग्राम सभा द्वारा नियमित तौर पर परियोजनाओं में किये गये कार्यों की सामाजिक लेखा –परीक्षा संचालित की जायेगी
- ग्राम सभा सभी सम्बंद्ध दस्तावेज उपलब्ध करायेगी जिसमें ग्राम सभा की सामाजिक लेखा परीक्षा का संचालन करने के उद्देश्य के लिए मस्टर रोल, बिल, वाउचर माप–तोल पुस्तिकायें, स्वीकृति आदेशों की प्रतियां और अन्य सम्बन्धित लेखा पुस्तिकायें तथा कागजात शामिल हैं
- योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यो का भौतिक तथा वित्तीय लेखा परीक्षा दोनों ही अनिवार्य हैं
- लोगों का पंजीकरण, काम की मांग, रोजगार कार्ड, सूची के ब्यौरे जिन्हें रोजगार दिया गया और जिन्हे नहीं दिया गया , भुगतान का विवरण, कार्य की अवधि, खर्च, सामग्री, सृजित मानव दिवस, स्थानीय समिति की रिपोर्ट तथा मस्टर रोल की प्रतियां तीन माह में एक बार ग्राम सभा के सम्मुख रखी जायेगी ।

- **मनरेगा हैल्प लाईन : 18001802023 (हरियाणा सरकार)**

वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन, बेरोजगारी भत्ता व पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मानदेय

इनका मुख्य विवरण इस प्रकार है

विवरण	1 अप्रैल 2009 से लागू दर (प्रति माह)
वृद्धावस्था पेंशन, उम्र – 60 वर्ष व ऊपर	500/–रू.
वृद्धावस्था पेंशन, (पिछले दस वर्ष से लाभित)	700/–रू.
विधवा पेंशन	550/–रू.
विकलांग पेंशन (70 प्रतिशत विकलांग)	500/–रू.
विकलांग पेंशन (100 प्रतिशत विकलांगता)	750/–रू.
बेरोजगारी भत्ता (कक्षा XII उत्तीर्ण बिना साइंस के)	500/–रू.
बेरोजगारी भत्ता (कक्षा XII उत्तीर्ण साइंस विषय के साथ)	750/–रू.
बेरोजगारी भत्ता (स्नातक – गैर सांइस संवर्ग)	750/–रू.
बेरोजगारी भत्ता (स्नातक – साइंस संवर्ग)	1000/–रू.
बेरोजगारी भत्ता (युवतियां – कक्षा XII उत्तीर्ण)	900/–रू.
बेरोजगारी भत्ता (युवतियां – स्नातक)	1500/–रू.
चौकीदार मानदेय प्रतिमाह	1500/–रू.
चौकीदार (युनिफार्म भत्ता) प्रतिवर्ष	1500/–रू.
चौकीदार (सीटी, लाठी, टार्च के लिए) प्रतिवर्ष	500/–रू.
नंबरदार	700/–रू.
अध्यक्ष, जिला परिषद्	6000/–रू.
उपाध्यक्ष, जिला परिषद्	4500/–रू.
सदस्य जिला परिषद्	2000/–रू.
अध्यक्ष, पंचायत समिति	4500/–रू.
सदस्य, पंचायत समिति	1000/–रू.
सरपंच, ग्राम पंचायत	1500/–रू.
पंच, ग्राम पंचायत	400/–रू.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- केंद्रीय व राज्य सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व
- गरीब वर्ग के लोगो को बाजार से कम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य है ताकि वे भूख तथा कुपोषण से बच सकें।
- इसके अन्तर्गत राज्य सरकार का मुख्य कार्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारो का चयन करना है।
- चुने हुए परिवारो को उपयुक्त राशन कार्ड प्रदान करना।
- **मुख्य खाद्यान्नः**– गेहूँ, चावल एवं चीनी तथा मिट्टी का तेल।
- कुछ राज्य/संघ राज्य आम आदमी की जरूरत की अन्य वस्तुएं भी बाँटते हैं, जैसे कि – कपड़ें, किताबे, दाल, नमक, चाय इत्यादि।
- भारत सरकार ने 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य सरकार को मुख्यतयाः गरीबो को पहचानना व उन तक खाद्यान्न पहुँचाने व वितरण करने का कार्य पारदर्शिता से करना है व इसमें खामी हुई तो राज्य सरकार ही जिम्मेदार होगी।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो की आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न राज्यों को दे दिया जाता है और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारो को बाजार से कम मूल्य पर दे दिया जाता है, परन्तु यह मूल्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वालो को दिए गए मूल्य से अधिक होता है।
- ग्राम पंचायत और नगरपालिकाएं पात्र परिवारों के चयन में सहायक होते है।
- **अन्त्योदय अन्न योजनाः**– इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगो मे से जो ज्यादा गरीब है, उनको भूखा नहीं रहने देने से है। राज्य सरकार इनकों 2.10रू. किलो की दर से गेहूँ देती है। इसके अर्न्तगत प्रत्येक परिवार को 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
- यह योजना उन परिवारो के लिए भी है जिन्हें या तो विधवा या बहुत बीमार या अपंग व्यक्ति या जिसकी उम्र 60 वर्ष या ज्यादा है चलाते है व जिन्हें कोई और सामाजिक सहायता उपलब्ध नहीं है।
- भूमिहीन कृषक, मजदूर, बढ़ई, लोहार, बुनकर, मोची, झोपड़ पट्टी में रहने वाले और वे व्यक्ति जो प्रतिदिन अपनी आजीविका कमाते हैं जैसे कि कुली, रिक्शा चालक, फल व फूल विक्रेता, कुड़ा बीनने वाले, व दुसरे समान अवस्था वाले भी इस योजना के लाभार्थी होंगे।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकार ने अलग–अलग रंग के राशन कार्डो की व्यवस्था की है जिनका विवरण निम्न है–
- ए.पी.एल. – (गरीबी रेखा से उपर जीवन यापन करने वालें) – हरा
- बी.पी.एल – (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालें) – पीला
- अन्त्योदय अन्न योजना – (अत्यन्त निर्धन/बेसहारा वर्ग) – गुलाबी
- इन राशन कार्डो की समाप्ति अवधि 5 वर्ष होती है।
- पीले व गुलाबी राशन कार्ड मुफ्त प्रदान किये जाते है।
- प्रवासी मजदूरो, औद्योगिक मजदूरो व परिवार जो दूसरे राज्यो से आएं है, उनकों अस्थाई राशन कार्ड 3 महीने की अवधि के लिए बनाए जाते है और अगर उन्होनें 6 महीने में समर्पण पत्र प्रस्तुत नहीं किये तो राशन कार्ड स्वंय खत्म हो जाते है।
- राशन कार्ड बनाने का डी–1 फार्म सम्बन्धित सहायक खाद्य एंव आपूर्ति अधिकारी, निरीक्षक खाद्य व आपूर्ति के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- राशन कार्ड का डी–1 फार्म ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच से तथा शहरी क्षेत्र में नगर पार्षद से तसदीक करवाएं।
- तसदीकशुदा डी–1 फार्म सम्बन्धित सहायक खाद्य व आपूर्ति अधिकारी/निरीक्षक के कार्यालय में ले जाकर राशन कार्ड बनवाये।
- उपभोक्ता अपना राशन कार्ड भारतवर्ष में एक ही जगह बनवा सकता है , जहॉ वह रह रहा हो।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार उचित मूल्य की दूकानो के माध्यम से आवश्यक वस्तुए उपलब्ध करवाई जाती है।
- **राशन कार्ड पर राशन की मात्रा**

लेवी चीनी	2.05 कि.ग्रा. व कोटे की उपलब्धता के अनुसार प्रति यूनिट प्रति माह केवल पीले व गुलाबी रंग के कार्ड धारकों को, रेट 13.50 रू. प्रति किलो ग्राम।
गेहूँ	35 किलो प्रति राशन कार्ड प्रति माह गुलाबी रंग कार्ड धारकों के लिए रेट 2.10 रूपये प्रति किलो ग्राम । 33 किलों प्रति राशन कार्ड प्रति माह पीले रंग के कार्ड धारकों को रेट 4.84रू. प्रति कि.ग्रा.
मिट्टी का तेल	सभी प्रकार के राशन कार्डो पर सिवाय गैस कनेक्शन होल्डर के, 8 लिटर प्रतिमाह – बी.पी.एल. कार्ड धारक, 3 लिटर प्रतिमाह – ए.पी.एल. कार्ड धारक, रेट 12.83 रू. प्रति लि.

- कॉनफेड ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूँ व चावल बी.पी.एल. व अन्त्योदय परियोजना के लाभार्थियों को नही प्राप्त होने पर शिकायत करने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की हैं ।
- हरियाणा राज्य व चंडीगढ़ संघ राज्य में प्रायोगिक आधार पर स्मार्ट कार्ड आधारित वितरण प्रणाली द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण का कार्य आरम्भ किया जाएगा ।
- डिपोधारकों के गेंहू, चावल, चीनी तथा मिट्टी के तेल के वितरण पर निगरानी रखने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है तथा निगरानी कमेटियों का पुर्नगठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मलित किए गए है।
- गांव/वार्ड स्तर कमेटी

शहरी	**ग्रामीण**
सदस्य नगर पालिका	सरपंच
पूर्व सदस्य नगर पालिका	एस.सी. पंच (महिला)
एक महिला सदस्य एस.डी.एम. द्वारा नमित	पटवारी

- यदि किसी गांव मे पटवारी उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत स्कूल अध्यापक/आंगनवाड़ी वर्कर को इस कमेटी में शामिल किया जाए
- उपरोक्त गठित निगरानी कमेटियों की उपस्थिति में उपभोक्ताओं में गेहू,चावल,चीनी तथा मिट्टी के तेल के वितरण को सुनिश्चित करवाएॅ। निगरानी कमेटी डिपो धारक के पी.डी.एस. वितरण को हर मास प्रमाणित करेगी तथा डिपोधारक द्वारा निगरानी कमेटी से प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उसे अगले मास की पी.डी.एस. वस्तुएँ जारी की जाए।

पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी

ग्राम पंचायत

- ग्रामीण क्षेत्रों मे डीपो का लाईसैंस ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर देने में
- राशन कार्डो के बनाए जाने, राशन कार्डो में ईकाइयों की बढ़ोतरी/कटौती करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले डी– फार्म को तसदीक करने में
- जन वितरण प्रणाली सम्बन्धी शिकायतों को सुनने तथा उनके निपटाने में
- ग्राम पंचायत उचित मूल्य की दुकान पर पी.डी.एस. वस्तुओं को आगमन को प्रमाणित करेगी तथा इन वस्तुओं के स्टाक रजिस्टर व उचित वितरण को प्रमाणित करने में

- ग्राम पंचायत जन वितरण प्रणाली के कार्यन्वयन के बारे में माह में एक बार पंचायत समिति को रिर्पाट प्रस्तुत करने में

पंचायत समिति

- गांव में सार्वजानिक वितरण प्रणाली के कार्यन्वयन पर देखरेख रखने तथा उसके कार्यक्षेत्र की शिकयतें सुनने में
- सार्वजानिक वितरण प्रणाली के कार्यन्वयन के बारे में 3 मास में एक बार जिला परिषद को रिर्पोट प्रस्तुत करनें में

जिला परिषद

- अपने अधिकार क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की देखरेख तथा उपलब्धता की जिला खाद्य व आपूर्ति नियंत्रक के साथ मासिक समीक्षा करने में
- प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक राशन डिपो पर राशन पंहुचाने के लिए जिम्मेदारी कानफेड की है
- राशन डिपो पर मिट्टी के तेल की आपूर्ति प्रत्येक महीने की 25 तारीख तक हो जानी चाहिए

- **राशन कार्ड बनाने की समय सीमा**

कार्य	समय सीमा	शिकायत केन्द्र
1. फार्म भरने के पश्चात नया राशन कार्ड जारी करने हेतु	15 दिन	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक
2. राशन कार्ड में ईकाइयों की बढ़ोतरी/कटौती करने के लिए	7 दिन	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक
3. पता बदलवाने हेतु एक ही क्षेत्र मे	3 दिन	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक
4. राशन डिपो बदलवाने हेतु	3 दिन	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक
5. सरेंडर सर्टीफिकेट जारी करने हेतु	1 दिन	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक
6. सरेंडर सर्टीफिकेट की पर्ची प्राप्ति के पश्चात नये राशन कार्ड जारी करने हेतु	7 दिन	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक
7. डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करने हेतु	7 दिन	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक

शिकायत केन्द्र

1. डायरेक्टर, खाद्य व आपूर्ति विभाग, हरियाणा
30–बेज बिल्डिंग, सैक्टर – 17,
चंडीगढ़ – 160017
फोन न. – 0172–2701366
फैक्स न. – 0172–270275

डायरेक्टर, कानफेड
एस.सी.ओ.– 1006–07, सैक्टर – 22–बी
चंडीगढ़ – 160017
फोन न. – 0172–2720104, 2701590
फैक्स न. – 0172–2702561

जिला खाद्य व आपूर्ति नियंत्रक,
नूँह, मेवात
फोन न. – 01267–274165

इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)

ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करने वाले गरीबो को आश्रय उपलब्ध कराने की नीयत से यह एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1996 से लागू है। इस कार्यक्रम पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय सरकार तथा 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध राशि का कम से कम 60 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु व्यय करने की व्यवस्था की गयी है।

उद्देश्य

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारो को नये आवास बनाने हेतु या कच्चे अथवा अर्द्ध पक्के मकानों को बेहतर करने हेतु एक मुश्त सहायता प्रदान करना।

पात्रता

ग्राम सभा ग्राम निवासियों में से ही पात्र लोगों की सूची तैयार करती है। इसके लिए पंचायत समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यह सूची नवीनतम सर्वे के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों मे से सर्वे स्कोर '0' से शुरू करके इसके बाद इससे ऊपर के स्कोर वाले परिवारों के आधार पर बनायी जानी चाहिए।

प्राथमिकता

लाभार्थियों के चयन में निम्न प्राथमिकताओं का अनुपालन करना अनिवार्य होगाः–

1. मुक्त कराये गये बँधुआ मजदूर
2. अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जन जाति परिवार
   (क) ऐसे एस.सी./एस.टी. परिवार जो उत्पीड़न का शिकार बने।
   (ख) ऐसे एस.सी/एस.टी. परिवार जिनकी मुखिया विधवा या अविवाहित महिला है।
   (ग) ऐसे एस.सी./एस.टी. परिवार जो बाढ़, आगजनी, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं।
   (घ) अन्य एस.सी./एस.टी. परिवार
3. गैर एस.सी./एस.टी. परिवार
4. शारीरिक रूप से विकलांग

5. रक्षा बलों या अर्द्ध सैनिक बलों के ऐसे व्यक्ति का परिवार या विधवायें जो किसी कार्यवाही में मारे गये हो या रक्षा एवं अर्द्ध सैनिक बलों के अवकाश प्राप्त सैनिक।
6. विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोग।

राशि निर्धारण

- उपलब्ध राशि की कम से कम 60 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों के मकान बनाने के लिए
- अधिकतम 40 प्रतिशत गैर –अनुसूचित जाति गरीबी रेखा के नीचें के परिवारों हेतु
- उपरोक्त मे से 3 प्रतिशत विकलांगों हेतु

रणनीति

- कार्यक्रम डी.आर.डी.ए. के माध्यम से लागू किया जायेगा
- ठेकेदारी प्रथा के अनुसार कार्य नही कराया जायेगा।
- लाभार्थी मकान स्वयं बनाएंगे।
- मकान बनाने के लिए प्रति इकाई 45000रू. का अनुदान

7. अर्द्ध–पक्के अथवा कच्चे मकान को पक्का या अपग्रेड करने के लिए 15000रू.
8. मकान का प्लींथ एरिया 20 वर्गमीटर से कम न हो
9. मकान में स्वच्छ शौचालय व धुंआ रहित चूल्हा होना आवश्यक है।
10. मकान के ऊपर भारत सरकार का ग्रामीण आवास का प्रतीक, निर्माण वर्ष एवं लाभार्थी का नाम अंकित हों।
11. मकान बनाने या सुधारने में लगने वाला सामान, तकनीक और डिजाईन कम लागत वाले और पर्यावरण के अनुकूल हो।
12. मकान का आंवटन परिवार की महिला के नाम होना चाहिए, या मकान पति व पत्नी दोनो के नाम हो सकता है।
13. सरकारी विभाग तकनीकी सहायता दे सकते है तथा निर्माण सामग्री सस्ती दरो पर उपलब्ध करवा सकते है।
14. डी.आर.डी.ए. द्वारा वित वर्ष के आरम्भ में आवंटन के आधार पर पंचायत – वार मकान बनाने के लक्ष्यों का निर्धारण करना, ग्राम पंचायतो को लक्ष्य के बारे में सूचित करना व ग्राम पंचायत से ग्राम सभा द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची मॉगना।
15. लाभार्थी परिवारों का चयन ग्राम स्तर पर ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा व यह अन्तिम चयन होगा, किसी उच्च अथॉर्टी का अनुमोदन आवश्यक नहीं।
16. चयनित लाभार्थियों की सूची जिला परिषद एंव पंचायत समिति को भेजी जायेगी।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1999 में इस योजना की शुरूआत की है। एक व्यापक सोच के अन्तर्गत स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसें गरीबों को स्वयं सहायता समूहों के तहत संगठित करना तथा उन्हे प्रशिक्षित करना, ऋण उपलब्ध कराना और इसके लिए तकनीक –आधारभूत ढांचा तथा बाजार उपलब्ध कराना, को एक साथ शामिल किया गया है । इस स्वरोजगार योजना में पहले से चली आ रही योजनाओं – आई.आर.डी.पी. डी.डब्लू.सी.आर.ए., जी.के.वाई. एस.आई.टी.आर.ए. और एम.वी.एस. को समाहित कर दिया गया है।

उद्देश्य

इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण निर्धनों को आय के स्थायी साधन उपलब्ध कराना व ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे उद्यम स्थापित करना है, जिनका निर्माण ग्रामीण निर्धनों की क्षमता पर आधारित हो । इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि इस योजना के अन्तर्गत मदद पाने वाला प्रत्येक परिवार तीन वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा से उपर उठ जायें।

लक्ष्य समूह

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे छोटे –सीमांत किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, कृषि एवं गैर कृषि श्रमिकों को लक्षित किया गया है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें है अर्थात गुलाबी या पीले कार्ड धारक परिवार। गरीबी रेखा की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत कमजोर वर्गो के लिए विशेष आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है जो इस प्रकार है :–

- कम से कम 50 प्रतिशत स्वरोजगारी अनुसूचित जाति के हों।
- कम से कम 40 प्रतिशत स्वरोजगारी महिलायें हों।
- कम से कम 30 प्रतिशत स्वरोजगारी विकलांग हों।
- ब्लाक स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत समूह केवल महिलाओं के हों।

वित्तीय स्त्रोत

इस योजना के अन्र्तगत खर्च होने वाली धन राशि का 75 प्रतिशत धन केन्द्रीय सरकार एवं 25 प्रतिशत धन राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी ।

कार्यनीति

इस योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्ट की कुल लागत पर सबसिडी का भी प्रावधान है । समान्य कोटि के लोगों द्वारा संचालित प्रोजेक्ट की लागत का 30 फीसदी (अधिकतम रूपये 7500), अनुसूचित जाति के लोगों को प्रोजेक्ट की लागत का 50 फीसदी (अधिकतम रूपये 10,000) तथा लाभार्थियों के किसी समूह द्वारा संचालित प्रोजेक्ट की लागत का 50 फीसदी (अधिकतम रूपये 1.25 लाख) सबसिडी दी जाती है । सिंचाई परियोजनाओं पर सबसिडी की कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी गयी है । बैंक प्रोजेक्ट के लिए बतौर कर्ज धन उपलब्ध करायेगें तथा सबसिडी भी देगें ।

इस योजना के अन्तर्गत जिलों को प्राप्त धनराशि का 20 प्रतिशत आधारभूत ढांचे, 10 प्रतिशत प्रशिक्षण, 10 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग मनी' के रूप में खर्च किया जायेगा । इस योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत धनराशि सामूहिक प्रोजेक्ट के लिए तथा 25 प्रतिशत व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध करायी जायेगी ।

गतिविधियाँ

इस योजना का मुख्य जोर इस बात पर है कि ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं संचालन किया जाये व दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक समूह में 10 से 20 सदस्य होने चाहिए । जिले एवं ब्लाक स्तर पर मुख्य उद्यम/प्रोजेक्ट चिन्हित किये गये हैं जो समूहों एवं व्यक्तियों के लिए है । समान्यतौर पर बैंक कर्ज एवं सरकारी सबसिडी डेयरी, बैल/ऊँट गाड़ी, किराना की दुकानों तथा ग्रामोद्योग के लिए उपलब्ध कराये जाते है । ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे छोटे उद्यम स्थापित करना जो ग्रामीण निर्धनों की आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्षमता के अनुरूप हों। गरीबों को स्वरोजगार द्वारा आय के टिकाऊ साधन उपलब्ध कराना ।

इस योजना में स्वरोजगार शुरू करने के सभी पहलुओं का समावेश किया गया है :

- गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना व उनका क्षमता विकास
- स्वरोजगार के लिए कौशल निर्माण करना
- बुनियादी ढांचे सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करना
- उत्पाद की गुणवत्ता हेतु प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना

- बैंक लोन एवं बहु लोन की व्यवस्था कराना
- कच्चा माल खरीदने एवं उत्पादित वस्तुओं की बिक्री में सहायता

इस योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की प्रमुख भूमिका है । अतएव समूह के बारे में भी मुख्य जानकारी जरूरी है ।

स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)

- एक समान समाजिक–आर्थिक स्थिति वाले समूह में 10–20 लोगों को शामिल किया जाता है (विशेष परिस्थितियों में समूह में 5–20 सदस्यों हो सकते हैं)
- समूह के सभी सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो से होते हैं व एक परिवार से एक ही सदस्य होगा ।
- एक व्यक्ति एक से अधिक समूहों का सदस्य नही हो सकता

समूह गठन के विभिन्न चरण

- गाँव मे जाकर लोगों को प्रेरित करना
- समूह बनाने के लिए आपसी सहमति के बाद समूह का नामकरण
- समूह का प्रधान व सचिव चुनना
- प्रति सदस्य प्रतिमाह बचत निर्धारित करना
- समूह संचालन व प्रबन्धन हेतु नियम बनाना
- एक प्रस्ताव पारित कर, की गई कार्यवाही को पुख्ता करना व नजदीकी बैंक में समूह का बचत खाता खुलवाना
- बचत खाता, लेन–देन खाता, संयुक्त हिसाब खाता, व्यक्तिगत पासबुक व कार्यवाही पुस्तिका बनाना

समूह की स्थिरताः– समूह बनाने से लेकर 6 माह तक, जिसके अन्त में प्रथम ग्रेडिंग की जाती है तथा बैंक से लिंकेज की जाती है

लघु वित्तः– बैंक से रिवाल्विंग फंड (नकद – साख) की प्राप्ति तथा उसका सदुपयोग व लेन देन । इस चरण के अन्त में दूसरी ग्रेडिंग की जाती है

लघु उद्यम विकासः– समूह बनाने के लगभग 12 माह बाद बैंक सहायता व प्रशिक्षण इत्यादि लेकर लघु उद्यम स्थापित करना व आय अर्जित करना

समूह द्वारा बैंक खाता खुलवानें के लिए आवश्यक कागजात :–

- पहली बैठक की कार्यवाही की प्रति
- समूह के प्रधान एवं सचिव की फोटो व इन दोनों के राशन कार्डो की प्रति
- स्वयं सहायता समूह के नाम की एक स्टैंप (मुहर)
- किसी खाताधारी द्वारा सिफारिश

स्वयं सहायता समूह : कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- गरीबों द्वारा बचत को बढावा, बचत का उपभोग एवं उत्पादक कार्यो में उपयोग
- आसान तरीके से, बिना सिक्यूरिटी के, गरीबों को समुचित मात्रा में उचित ब्याज दर पर घरेलु तथा उत्पादक जरूरतों के लिए ऋण की उपलब्धि
- सदस्यों को साहुकारों के चंगुल से मुक्ति
- वित्तीय अनुशासन व प्रबन्धन की शिक्षा
- बैकों के लिए एक आसान एवं लाभकारी ऋण बाजार की व्यवस्था
- सदस्यों में आत्म विश्वास व सामाजिक भाई चारे की बढोतरी
- कर्ज लेने वालों और देने वालों (अर्थात बैंकों), दोनो की लागतों में कमी
- लोन वापसी में अभूतपूर्व वृद्धि, (प्रायः 90 प्रतिशत से अधिक)
- महिलाओं में जागृति एवं क्षमता निर्माण

आदर्श स्वयं सहायता समूह की विशेषताएँ

- समूह की बैठक निर्धारित समय पर व नियमित हो
- प्रत्येक सदस्य नियमित बचत करता हो व सभी सदस्य बचत बैठक में ही जमा करते हो व संचित बचत की मात्रा बढती रहे
- समूह द्वारा निर्धारित किये गये नियमों, कायदों एवं आचार संहिता का पालन सभी सदस्य करें
- बैठक में सदस्यों की उपस्थिति 90 प्रतिशत से ज्यादा हो व सभी निर्णय सर्वसम्मति से हों
- समूह निधि का आंतरिक लोन में 80 प्रतिशत से अधिक उपयोग हो
- आन्तरिक लोन वसूली 90 प्रतिशत से ज्यादा हो
- बैठक की कार्यवाही/पैसे के लेन देन से संबंधी दस्तावेजों का प्रबंधन अच्छा हो
- सदस्यों द्वारा नियमित अंतराल पर कोई सामाजिक कार्य, जैसें कि सफाई, दहेज, महिला उत्पीड़न नशा खोरी के विरूद्ध जन जागरण अभियान आदि चलाया जायें
- सदस्य बैंक की कार्य प्रणाली व सरकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूक हों
- **सहायता कैसे प्राप्त करें** – कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और खण्ड विकास अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है

शिकायत केन्द्र :– राज्य स्तर
विशेष सचिव व निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा
एस.सी.ओ.न. –183–185, सैक्टर–17–सी, चण्डीगढ़–160017
फोन न. 0172–2705535

जिला स्तर :– उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.)
नुंह–मेवात,
फोन न. 01267–274601, 01267–274605

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित प्रयास

सरकार इस कथन के साथ कि गाँधी जी ने भारत की आत्मा के रूप में गांवो को देखा था, ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है।

इस मिशन का उद्देश्य पिछड़े से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों मे तथा निर्धनतम लोगों तक स्वास्थ्य सुविधायें पहुँचाना है।

सरकार ने इस संदर्भ में अपना लक्ष्य पूरा करने हेतु निम्न काम किये हैं

1. स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या मे वृद्धि
    - अधिक चिकित्सक
    - अधिक नर्से तथा ए.एन.एम.
    - अधिक विशेषज्ञ तथा प्रयोगशाला तकनीशियन
    - हर गांव में आशा कार्यकर्ता

2. स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु बुनियादी ढांचे मे सुधार का निर्णय
    - आवश्यक दवाओ के लिए धन की व्यवस्था
    - स्वास्थ्य जांच उपकरणों की व्यवस्था ताकि अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके
    - चिकित्सालयों की इमारतो का नवीनीकरण
    - आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु मोबाइल मेडिकल युनिट तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था
    - अस्पतालों से बेहतर समन्वयन हेतु टेलीफोन की सुविधा

3. **जन स्वास्थ्य, जनता के हाथ में**
    - पंचायती राज संस्थाओं एवं सामुदायिक संगठनो के जरिए उपलब्ध एवं बजट के अन्तर्गत प्राप्त धन के खर्च में लचीलेपन की व्यवस्था। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अलग अलग स्तरों पर अलग अलग मदों में निम्न धनराशि आवंटित करने का प्रावधान किया गया है :–

गाँव एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर

- प्रत्येक गांव की स्वास्थ्य एंव स्वच्छता समितियों को — रू. 10,000
- प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र को स्वास्थ्य सम्बंधी काम के लिए — रू. 10,000
- प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत की मरम्मत तथा देखभाल के लिए — रू. 10,000

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) के स्तर पर

- प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मत के लिए — रू. 50,000
- प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए — रू. 25,000
- प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर की रोगी कल्याण समिति के लिए — रू. 1,00,000

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.) के स्तर पर

- प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मत के लिए — रू. 1,00,000
- प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य गतिविधियों हेतु — रू. 50,000
- प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर की रोगी कल्याण समिति हेतु — रू. 1,00,000

जिला अस्पताल के स्तर पर

- रोगी कल्याण समिति हेतु — रू. 5,00,000

हैल्थ सब – सैन्टर (स्वास्थ्य उप केन्द्र)

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समुदाय के बीच पहला संपर्क बिंदु
- प्रत्येक उप केंद्र में एक ए.एन.एम. व एक पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- 5000 की जनसंख्या पर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एल.एच.वी) व एक पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता 6 सब – सैन्टरों के पर्यवेक्षण का कार्य करते है।

प्रदान की जाने वाली सेवाएं

प्रसव पूर्व देखभाल

- गर्भावस्था का पंजीकरण, गर्भवती की कम से कम 3 बार जांच (गर्भावस्था के 2,8,9 वें महीने में), आयरन, फौलिक एसिड टेबलेट वितरण, खून की कमी की जांच व चिकित्सा, अधिक जोखिम वाली गर्भवतियों का उचित चिकित्सकीय प्रबन्धन

प्रसव के समय देखभाल

- प्रशिक्षित कार्यकर्ता द्वारा प्रसव में मदद, सुरक्षित प्रसव

प्रसव के बाद देखभाल

- 3 बार फालोअप, निरीक्षण/मुलाकात, नवजात शिशु की देखभाल व निरीक्षण, जांच, गंभीर नवजात को अस्पताल में रैफर करना।
- नसबन्दी आपरेशन के बाद देखभाल
- प्रजनन तंत्र संक्रमण व यौन संक्रमण को रेफर करना
- 5 साल से कम उम्र के बच्चो के वजन की नियमित जांच
- ओरल डिहाईड्रेशन चिकित्सा (डायरिया कंट्रोल)
- छोटी मोटी बीमारियों का इलाज
- आवश्यकता अनुसार मरीजो को रेफर करना

परामर्श

- स्तनपान, पोषाहार व कुपोषित बच्चों के लिए सलाह, किशोर किशोरियों को परामर्श, परिवार नियोजन, प्रजनन तन्त्र संक्रमण पर जागरूकता
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को सुविधांए प्रदान करवाना

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी.एच.सी.)

- ग्रामीण क्षेत्रों मे चिकित्सा सेवाओं के एकीकृत संरचना का आधार
- गांव, समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु
- 6 सब सैन्टरों के लिए एक रेफरल युनिट के रूप में काम
- 30,000 की जनसंख्या पर
- 4–6 बैड रोगियों के लिए
- एक पुरूष व एक महिला चिकित्सा अधिकारी व 14 पैरामैडीकल व अन्य स्टाफ

प्रदान की जाने वाली सेवाएं

- उपकेन्द्र स्तर पर दी जानी वाली सभी जानकारियाँ तथा सेवाएं
- चिकित्सकीय सेवाएं
- प्रयोगशाला सेवाएं, दवाखाना
- प्रजनन तन्त्र संक्रमण की चिकित्सा
- महिला व पुरूष नसबन्दी सेवाएं
- मेडिकल लीगल सेवाएं
- स्वच्छता व पीने के स्वच्छ पानी के बारे मे जागरूकता पैदा करना
- 24 X 7– डिलीवरी की सुविधा
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, दाइयो, आशा कार्यकर्ता व ए एन एम को प्रशिक्षण देना
- रोगियों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाना
- चिकित्सा अधिकारी को एक महीने मे सभी सब–सैन्टरो का दौरा करना चाहिए
- ओ पी डी सेवांए – 4 घंटे सवेरे, 2 घंटे दोपहर/सांयकाल

आशा कार्यकर्ताः– मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख घटक
- समाज मे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए
- सुरक्षित प्रसव, स्तनपान, टीकाकरण, जन्म की तैयारियों व यौन संक्रमण की रोकथाम के महत्व पर महिलाओं को सलाह देना
- आशा कार्यकर्ता संबंधित गांव से ही चुनी जाएगी व गांव के प्रति जवाबदेह होगी
- घरेलू शौचालयों के निर्माण को प्रोत्साहित करना
- मौजदा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना
- डिपो के रूप में कार्य जिसमें ओ आर एस थैरेपी, आयरन फोलिक एसिड टेबलेट, क्लोरोक्वीन, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट उपलब्ध होगे
- 1000 की जनसंख्या पर एक
- गांव में स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति की सदस्य
- समर्थन का स्त्रोतः– स्वयं सहायता समूह, महिला स्वास्थ्य समिति, गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति
- प्रत्येक महीने ए एन एम व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ स्वास्थ्य व पोषण दिवस का आयोजन

ए.एन.एम.

- महिलाओ की गर्भकाल में देखभालः– पंजीकरण, विवरण, परीक्षण, टीकाकरण, गर्भकाल में जोखिमों की पहचान, स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्थानीय प्रथाए
- गर्भवती महिलाओं की जटिलता में देखभालः– उल्टियाँ, कब्जियत, कमरदर्द, सूजन, नींद न आने के कारण, घर में देखभाल,
- प्रसवअवस्था मे देखभालः– घर मे प्रसूति कराना, प्रसव के बाद तत्काल देखभाल, गर्भावस्था की आकस्मिक घटनाए व टांके लगाना
- प्रसव पश्चात देखभालः– प्रसव के बाद पुनः निरीक्षण, परिवार नियोजन के तरीको पर परामर्श
- नवजात शिशु की देखभालः– स्तनपान, ऊपरी आहार व कम वजन वाले शिशु की देखभाल, चौकसी से देख रेख
- बच्चों की देखभालः– टीकाकरण, कुपोषण, सांस के गम्भीर रोग, दस्त और पेट के कीड़े, स्कूली बच्चो का स्वास्थ्य
- प्रजनन आयु समूहों की देखभालः– बाल– कन्या, किशोरावस्था एवं वृद्धावस्था की देखभाल, एनीमिया, घरेलू उपचार, सुरक्षित गर्भपात, शल्य क्रिया द्वारा गर्भपात
- विशेष बीमारियॉः– तपेदिक, मलेरिया, सिफसिल, अत्यधिक सफेद स्त्राव, गर्भाशय का बाहर निकलना और एच आई वी / एड्स के बारे में जानकारी
- पात्र दम्पतियों का पंजीकरण, जीवित शिशु का पंजीकरण, मृत्यु पंजीकरण, रिपोर्ट की तैयारी, प्रयोग की औषधियां

जननी सुरक्षा योजनाः– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत
- गर्भवती महिलाओ में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के बारे में
- माता और नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए
- माता की आयु 19 वर्ष या इससे उपर
- नकद सहायता – 1500/– रू. 700/– रू. (हरियाणा सरकार), एस.सी., एस.टी., बी.पी.एल. को घर पर बच्चा होगा तो 500/– रू., संस्था में होगा तो 700/–रू.

अरोग्य कोषः– गुलाबी या पीला कार्ड धारक परिवार के लिए
- संबधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित फार्म को भरना व साथ में उपचार करने वाले डाक्टर के विचार व अन्ततः जिले से संबधित सिविल सर्जन के विचार

हस्पतालः– पी.जी.आई रोहतक, पी.जी. आई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली, जनरल हस्पताल सैक्टर–16 चण्ड़ीगढ़, मेडिकल कालेज – सैक्टर 32 चण्ड़ीगढ़, आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमैंट – बीकानेर, हरियाणा सरकार के सभी सरकारी हस्पताल
- 25000/– रू. तक की सहायता सिविल सर्जन की अनुमति से बी.पी.एल. रोगियो के लिए
- 25000/– रू. से उपर सहायता राज्य स्वास्थ्य सोसायटी की गवर्निग बाडी द्वारा

बीमारियांः– हृदय से संबधित, कैंसर, गुर्दे से संबधित, खून से संबधित, न्यूरोलोजिकल बीमारियां

- एम आर. आई, ई.ई.जी. ई.सी.जी. जैसी जांचों हेतु
- परेशानी की स्थिति में व्यक्ति इंस्टीच्यूट के मुखिया से 15 दिन के अंदर संपर्क कर सकता हैं
- अगर ध्यान नहीं दिया जाता–सिविल सर्जन 7 दिन के अंदर परेशानी को हल करेगा, नहीं तो स्वास्थ्य सेवाओ के डायरेक्टर जरनल को शिकायत की जा सकती है

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाः– बी.पी.एल. परिवार के 5 सदस्यों को मुफ्त चिकित्सा सेवा अधिकृत प्राईवेट हस्पतालो में

- हरियाणा प्रथम राज्य जिसने यह योजना सभी जिलों में लागू की

मेवात मोबाईल सेवाएं :– गर्भवती महिलाओं को नजदीक के स्वास्थ्य सैन्टरों मे ले जाने के लिए एम्बुँलैंस सेवा नम्बर– **102**

- **नूंह– 925422470, तावडु– 9254242471, मिंडकोला– 9254242472, पिंनगांवा – 9254242474, पुन्हाना – 9254242475, नगीना – 9254242476, मांडीखेड़ा – 9254242477, फिरोजपुर झिरका – 9254242478,**

- **शिकायत केन्द्र, 01268–273010, 01268–205111**

राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य सेवांए कार्यक्रमः– सभी स्कूल जाने वाले बच्चों की मेडिकल जॉच कम से कम 3 बार

देवी रूपक योजना 500रू. प्रति महीना फैमिली प्लानिग प्रोग्राम को अपनाने के लिए–पहले बच्चे के जन्म के पश्चात या दूसरे बच्चे के जन्म के पश्चात – दोनो लड़कियाँ होनी चाहिए । इस योजना का लाभ लाभार्थियों को कम से कम 20 वर्ष (जब से योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है) तक दिया जाता है,

अपनाने का स्तर	**प्रति महीना**
1. पहली लड़की के जन्म के पश्चात	500रू.
2. पहले लड़के के जन्म के पश्चात	200रू.
3. दूसरी लड़की के जन्म के पश्चात	200रू.

- ग्राम पंचायत के पास पहले रजिस्ट्रेशन कराएं
- कोई भी माता पिता टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए

समेकित बाल विकास सेवा योजना
(आई.सी.डी.एस.)

बच्चे किसी राष्ट्र का भविष्य होते है, बच्चों के महत्व को रेखांकित करते हुये भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों तथा राष्ट्रीय बाल नीति में बच्चों के सर्वागीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में पूरी आबादी के 15.46 प्रतिशत बच्चें है, जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम है व इनमें से बड़ी संख्या ऐसे बच्चो की है, जो चिंतनीय परिस्थितियों में रह रहे हैं।

भारत सरकार ने अगस्त 1974 मे राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की और बच्चों को अमूल्य निधि के रूप में रेखांकित किया। इस योजना में बच्चों की सभी तरह की जरूरतों की पूर्ति के लिए एक समुचित ढांचा विकासित किया गया और यहीं से आई.सी.डी.एस. की नींव पड़ी।

- यह योजना भारत में 2 अक्टूबर 1975 को बच्चों और माताओं को उनके गांवो या इलाके में एकीकृत तरीके से सभी आधारभूत आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई
- आई. सी. डी. एस. बच्चों को देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं
- संसार का सबसे बडा बाल विकास व राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चो, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं की आवश्यकताओं पर केन्द्रित है
- आंगनवाड़ी केन्द्र बाल विकास एवं महिला शक्ति सम्पन्नता हेतु जागरूकता बढ़ाने और संयुक्त रूप से कार्य करने वाले महिला मंडलों, महिला–दलो की बैठकों, माताओ के क्लबों लिए उपयुक्त मिलन स्थल का भी कार्य करता है
- बच्चों व महिलाओं के कल्याण व शारीरिक, मानसिक और समाजिक चहुमुंखी विकास में सहायक
- हरियाणा में यह योजना महिला व बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं
- यह योजना खास गरीबी रेखा से नीचें रहने वाले परिवारों, कुपोषण से प्रभावित बच्चों, गर्भवती व नर्सिंग माताओं के लिए हैं, जो मुख्यतः आर्थिक रूप से पिछड़े गाँवों व शहरी मलिन बस्तियों में निवास करते है

आई.सी.डी.एस.दल

- आंगनवाडी स्तर पर आंगनवाडी कार्यकर्ता व आंगनवाडी सहायिका, मदर्स समिति तथा गाँव स्तर पर पंचायत उप समिति,
- ब्लाक व परियोजना स्तर पर पर्यवेक्षक तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी
- बड़ी ग्रामीण तथा जनजातीय परियोजनाओं में अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी भी दल का एक सदस्य
- आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के कार्यन्वयन हेतु नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्र के चिकित्सा अधिकारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य निरीक्षक मिलकर समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास कार्यकताओं का एक दल बनाते हैं

उद्देश्य

- छः वर्ष से कम आयु के बच्चों और महिलाओं की पोषण व स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार लाना
- बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा भावात्मक विकास की नींव रखना
- रूग्णता, मृत्युदर, कुपोषण तथा बीच में ही पढाई छोड देने के मामलों मे कमी करना
- बाल विकास को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीतियों तथा कार्यान्वन मे कारगर समन्वय स्थापित करना
- उपयुक्त सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य, पोषाहार तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने हेतु माता की क्षमता का विकास करना

आवश्यकता

- प्रत्येक बच्चे को पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा का मौलिक अधिकार है
- पूर्णतः बढ़ने और विकसित होने के लिए
- आधे भारतीय बच्चे अल्प पोषित है
- 1000 शिशुओं में से 67 की एक वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो जाती है
- एक तिहाई भारतीय बच्चे जन्म के समय कम वजन के होते हैं
- सभी बच्चों में से मुश्किल से आधे पढ़ाई के आठ वर्ष पूरे कर पाते है, इससे बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है व जीवन भर सामाजिक उपेक्षा, कम आय और शोषण के लिए श्रापित हो जाते है

सेवाएँ

- पूरक पोषाहारः– बच्चो को पूरक पोषाहर 4 रू. प्रतिदिन प्रति बच्चा, माताओं को 5रू. प्रतिदिन प्रतिमाता व अति कुपोषित बच्चों को 6 रू. की दर से दिया जाता है जो कि प्रोटीन, कार्बोहाईड्रेट और विटामिन से युक्त होता है

- खाने की व्यवस्था एक वर्ष में 300 दिन रविवार व 14 राजपत्रित छुट्टियों के अलावा दिया जाता है
- व्यंजन सूची:

सोमवार	मीठा दलिया	**मंगलवार**	आलू पूरी
बुधवार	खिचड़ी	**वीरवार**	सेविया
शुक्रवार	भरवा परांठा	**शनिवार**	नमकीन दलिया

टीकाकरण

- बच्चो को तपेदिक, गलघोंटू, काली खांसी, टिटनस, पोलियों, खसरा, टी.बी. तथा पीलिया रोग से बचने के लिए टीके लगाए जाते है
- गर्भवती महिलाओं को टिटनस के 2 टीके एक महीने के अंतराल पर लगाए जाते है
- टीके लगाने का कार्य स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया जाता है

लगाये जाने वाले प्रमुख टीके

टीका	आयु	मात्रा	रोग
बी.सी.जी.	0–6 सप्ताह	1	टी.बी. से बचाव के लिए
ओ.पी.वी.	6 सप्ताह 10 सप्ताह 14 सप्ताह	3	पोलियों से बचाव के लिए
डी.पी.टी.	6 सप्ताह 10 सप्ताह 14 सप्ताह	3	गलघोंटू, काली खांसी व टिटनस से बचाव के लिए
खसरा डी.पी.टी. (बूस्टर)	9–12 माह 16–18 माह	1 1	खसरे से बचाव के लिए गलघोंटू, काली खांसी, टिटनस, पोलियों
ओ.पी.वी. (बूस्टर)	16–18 माह	1	पोलियों
डी.टी. (बूस्टर)	5–6 वर्ष	1	गलघोंटू, टिटनस

- इन टीकों के अलावा पीलिया रोग से बचाव के लिए हैपेटाईटस–बी का टीका लगवाना भी आवश्यक है।
- गांवो में यह टीके प्रति बुधवार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा मुफ्त लगाए जाते है
- प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मंगलवार व बृहस्पतिवार को
- जिला अस्पताल में प्रतिदिन

स्वास्थ्य जॉच

बच्चों और माताओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं तथा 6 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कर्मी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता व चिकित्सा अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर की जाती है

संदर्भ सेवाएं

- इसके अन्तर्गत कुपोषण से पीड़ित बच्चें व गम्भीर रूप से बीमार माताओं के माता–पिता/संरक्षकों को परामर्श दिया जाता है कि वह उनका इलाज किसी हस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर से करवायें

पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा

- 15 से 45 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है व गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को प्राथमिकता दी जाती हैं
- गांवों मे कैम्प आयोजित किए जाते है व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर–घर जाकर गृहणियों के बीच आयोडिन युक्त नमक के प्रयोग पर बल दिया जाता है
- भोजन पकाने व खिलाने के प्रदर्शन आयोजित किए जाते है

अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा

- यह आई.सी.डी.एस. की रीढ़ की हड्डी है। 3–6 साल के बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखने के लिए आंगनवाड़ियों में अंकुर पुस्तक दी जाती है, जिसमें कविताएं, कहानियां, खेल व पहेलियां शामिल है
- आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत किशोरी लड़कियों (11–19 वर्ष) के पोषण का व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का ध्यान भी रखा जाता है, व जिनका वजन 35 कि.ग्रा. से कम है, उनकी स्वास्थ्य जांच की जाती है व 6 कि.ग्रा. अनाज प्रति माह मुफ्त दिया जाता है
- इसके अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण व उनकी आय बढ़ाने की योजनाओं पर पर भी ध्यान दिया जाता है

- हरियाणा राज्य मे ये सब सेवाएं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध है व इनका लाभ उठाने के लिए स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्रों पर जा कर अपना नाम दर्ज कराना होगा

पंचायती राज संस्थाओं की समेकित बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम के संचालन में भूमिका

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के चयन हेतू गठित 5 सदस्यीय कमेटी में संबधिंत खण्ड पंचायत समिति की महिला सदस्य जिसे जिला परिषद मनोनीत करें, को शामिल किया गया है
- हेल्पर की नियुक्ति हेतु गठित 3 सदस्यीय कमेटी में गांव की महिला पंच/महिला सरपंच को सदस्य बनाया गया है

ग्राम पंचायतों की महिला सदस्यों और महिला सरपंचों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करना तथा देखना कि

- आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति
- समय पर आंगनवाड़ी केन्द्र खोलना
- आंगनवाड़ी केन्द्र में सफाई/स्वास्थ्य व बच्चों के साथ व्यवहार का निरीक्षण करना।
- खुराक समय की अनुपालन सूची
- सर्वेक्षण की नवीनतम जानकारी को रजिस्टर में दर्ज करवाना
- बाल विकास समिति और कमेटी की बैठक में ठीक तालमेल रखना

आंगनवाड़ी

- आंगनवाड़ी केन्द्र वास्तव में खेल का प्रांगण होता है जो गांवो व बस्तियों में स्थित होता है
- आई.सी.डी.एस. सेवाएं आंगनवाड़ी केन्द्रों के विशाल नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाती हैं
- आंगनवाड़ी अल्प वेतन भोगी कार्यकर्ता द्वारा चलाया जाता है व आंगनवाड़ी सहायिका उसकी सहायता के लिए होती है
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का वेतन 3000रू. प्रतिमाह है
- आंगनवाड़ी सहायिका का वेतन 1500रू. प्रतिमाह है
- प्रत्येक आंगनवाड़ी 400–800 की आबादी व लगभग दो सौ परिवारो तक पहुंचती है
- आदिवासी क्षेत्रो में प्रति 700 जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी का मापदण्ड है।

- 150–400 की आबादी वाली बस्तियॉ के लिए मिनी आंगनवाड़ी का भी प्रावधान है
- बच्चों के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ आंगनवाड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है व आंगनवाड़ी के पास पानी और शौचालय व खेलने की साफ–सुथरी पर्याप्त जगह होनी चाहिए
- नई आंगनवाड़ीयों की स्वीकृति में अनुसुचित जाति/जन जाति बस्तियों को प्राथमिकता देना जरूरी हैं
- आंगनवाड़ी कार्यक्रम सभी समस्याओं का लक्ष्य करता है व बच्चे के स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता की बुनियाद को मजबूत बनाने में सहायक है
- ग्राम पंचायत इसके लिए सहायक कमेटी का निर्माण करेगी व सुनिश्चित करेगी की माताओं की इसमें भागीदारी हो व प्रतिदिन 'माँ की राय' रजिस्टर में उनकी सलाह रिकार्ड करे

कार्य – आंगनवाड़ी कार्यकर्ता:– कार्यक्रम का स्तंभ

- आंगनवाड़ी को चलाना व आसपास के सभी परिवारो का सर्वेक्षण करना
- सभी उपयुक्त बच्चो का नामांकन करना
- प्रतिदिन समय पर खाना परोसे जाने को सुनिश्चित करना
- स्कूल पूर्व शिक्षा की गतिविधियां संचालित करना
- ए.एन.एम के साथ टीकाकरण का सत्र आयोजित करना
- गर्भवती माताओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं से उनके घर पर मिलना व पूरक पोषक आहार का प्रबंध करना
- जीवन संबंधी आंकड़े, विशेष रूप से जन्म और मृत्यु जैसे आवश्यक आंकड़ो का पंजीकरण करना
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करना
- छूत की बीमारियों वाले व्यक्तियों, अति कुपोषित, साधारण कुपोषित, बीमार तथा गंभीर दशा वाले बच्चों को संदर्भ सेवांये दिलवाना
- रिकार्ड और रजिस्टरों को विशेष रूप से बच्चों के वजन के कार्ड, बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड, पूरक पोषक, आहार रिकार्ड, आंगनवाड़ी उपस्थिति रिकार्ड का रख रखाव करना
- गांव व अन्य संस्थाओं जैसे पंचायत, महिला–मंडल, स्कूल शिक्षक आदि से सम्पर्क रखना व कार्यक्रम के संचालन में उनका सहयोग व सहायता प्राप्त करना

आंगनवाड़ी सहायिका के कार्य

- बच्चों और महिलाओं को खाना बनाकर परोसना
- प्रतिदिन आंगनवाड़ी की सफाई करना और पानी भर कर लाना
- छोटे बच्चो को इकट्ठा कर उन्हें आंगनवाड़ी में लाना
- छोटे बच्चों को साफ सुथरा रखना

सी.डी.पी.ओ.ः— प्रत्येक परियोजना का प्रबंध बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) द्वारा किया जाता हैं व उसका कार्यालय आंगनवाड़ी कार्यक्रम का 'मुख्यालय' होता है

सुपरवाईजरः— सी.डी.पी.ओ. की सहायता के लिए सुपरवाइजर होते है जो नियमित रूप से आंगनवाड़ियों का दौरा करते है व रजिस्टरों की जाँच व परिसरों का निरीक्षण करते हैं

ए.एन.एम.ः— आंगनवाड़ी कार्यक्रम व स्वास्थ्य विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका अदा करती हैं व प्रमुख कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ टीकाकरण सत्र आयोजित करना है व आंगनवाड़ी में मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करती है।

आंगनवाड़ी कार्यक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश

- आई.सी.डी.एस. को लागू करने के लिए 14 लाख आंगनवाड़ीयों की आवश्यकता
- 6 वर्ष तक प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 500 कैलोरी और 12—15 ग्राम प्रोटीन मिलें।
- प्रत्येक गर्भवती और और दूध पिलाने वाली महिला को 600 कैलोरी और 18—20 ग्राम प्रोटीन मिलें।
- प्रत्येक कुपोषित बच्चों को 800 कैलोरी और 20—25 ग्राम प्रोटीन मिले।
- प्रत्येक मलिन बस्ती मे आंगनवाड़ी केन्द्र हों।
- 0—6 वर्ष के सभी बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को वर्ष में 300 दिन पूरक पोषाहार।
- पूरक पोषण की आपूर्ति के लयें ठेकेदारों का इस्तेमाल न हो।
- स्थानीय महिला स्वंय सहायता समूहों और महिला मंडलो को आंगनवाड़ी में पूरक पोषाहार की आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
- केन्द्र सरकार और राज्य/केंन्द्र शासित प्रदेश सुनिश्चित करे कि समस्त आवंटित राशि समय पर स्वीकृत की जाये, बच्चों को खिलाने में कोई रूकावट न आये।
- आंगनवाड़ी केन्द्र कहाँ चल रहे हैं, श्रेणीवार लाभार्थियों की सूची, आवंटित और खर्च की गई राशि और संबंधित मामलों समेत आंगनवाड़ी कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा सभी राज्य सरकारें, केन्द्र शासित प्रदेश अपने वेबसाईट पर डालें ।

- जहां किसी स्थान पर 6 वर्ष से छोटे 40 बच्चें हो परंतु वहां कोई आंगनवाड़ी न हो वहां का ग्रामीण समुदाय और झुग्गि–झोपड़ी में रहने वाले 'मांग पर आंगनवाड़ी के लिए हकदार है, जिस तारीख से यह मांग की गई है उसके तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगी की आंगनवाड़ी केन्द्र को गांव के प्राथमिक स्कूल में उपलब्ध कराएं।
- हरियाणा सरकार ने जन्म मृत्यु पंजीकरण कराने का तरीका अब और भी सरल कर दिया है, पंजीकरण फार्म सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध है व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करेगें व इसको संबंधित परिवार तक पहुंचाएगें व इन सार्टिफिकेट की कोई फीस नही होगी व इनका रिकार्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रखा जाएगा।
- गर्भवती महिलाओं के नाम आंगनवाड़ी में ए.एन.एम. या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास दर्ज कराएं ताकि समय से टीका लग सकें । हर गर्भवती महिला के लिए आयरन की 100 गोलियां खाना जरूरी है, जिससे खून की कमी दूर होती है।
- भारतीय जीवन बीमा निगम की सुरक्षित भविष्य योजना के अर्न्तगत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायक जिन्होने एक वर्ष की नौकरी 01.01.08 को पूरी कर ली है, के लिये शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत आकस्मिक मृत्यु पर 50,000 रू. की सहायता का प्रावधान है।
- किसी गाँव में आंगनवाड़ी सैन्टर खोलने के लिए जिला उपायुक्त या आई.सी.डी. एस. जिला अधिकारी से सम्पर्क करें।
- आंगनवाड़ी सैन्टर सप्ताह में छः दिन खुला रहता है व चार घंटें प्रतिदिन कार्य करता हैं।
- प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 4 परिवारों का चुनाव 3 महीनें के लिए करते है जिनके बच्चें कुपोषण के सर्वाधिक शिकार होते हैं व सप्ताह में दो बार इन परिवारों के पास जाते हैं।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इन परिवारों को कुपोषण के बुरे प्रभावों के बारे में जानकारी देगें व इन परिवारों के खाने की आदतों का अध्ययन करेंगे, यह भी देखेंगें कि लड़के व लड़की में कोई भेद तो नहीं रखा जा रहा है व घर में कोई गर्भवती महिला तो नही है और यदि है तो क्या उसे उचित पोषाहार मिल रहा है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सारी जानकारी सुपावाइजर को देगा व सुपरवाइजर एक डाईट चार्ट संबंधित परिवार को देगा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यह ध्यान रखेगा कि परिवार इसका अनुसरण कर रहा है या नहीं।
- आंगनवाड़ी में कुपोषण से प्रभावित बच्चों का प्रतिमाह वजन किया जाता है व उनकी वृद्धि से संबंधित एक चार्ट भी तैयार किया जाता हैं, 0–3 साल उम्र के बच्चे का वजन महीने में एक बार किया जाता है तथा 3–6 साल उम्र के बच्चे का वजन तीन महीने मे एक बार किया जाता है।

- यदि गर्भवती महिला गाँव से बाहर बच्चे को जन्म देने का विचार करती है तो उसको एक कार्ड दे दिया जाता है, ताकि बच्चे के जन्म के पश्चात् उसके वजन का रिकार्ड रखा जाए
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुपोषण से प्रभावित बच्चों के माता–पिता की कमेटी बनाती हैं व प्रत्येक सप्ताह इनकी मीटिंग कराती है व इन्हे पोषाहार की महत्ता की जानकारी देती हैं
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुनिश्चित करती हैं कि सभी माताएं 6 महीनें से अधिक आयु के बच्चों को स्वंय का दूध पिलाने के साथ साथ कुछ अन्य अल्पाहार भी दें
- प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास एक दवाईयों की किट होती है, जिसमें समान्य बीमारियों जैसे कि बुखार, खांसी, जुखाम, डायरिया, त्वचा व आँख में इन्फैक्शन से संबंधित दवाईया होती हैं
- आंगनवाड़ी केन्द्र में सभी सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं

बालिका समृद्धि योजनाः– यह योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंध रखने वाली अधिक से अधिक 2 लड़कियों पर लागू होगी

- बालिका के जन्म उपरान्त 500 रू. की राशि की सहायता
- बालिका जब स्कूल जाने लगे तब कक्षा 1 से 10 तक 300 रू. से 1000 रू. तक की छात्रवृति
- राशि वर्ष में सफलतापूर्वक कक्षा पास करने के उपरान्त ही दी जाएगी
- लड़की को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही उसे ब्याज सहित खाते में से पैसे निकालने की अनुमति है
- योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि लड़की 18वें जन्मदिन पर अविवाहित हैं

किशोरी शक्ति योजना

- 11–18 वर्ष की आयु की कन्याओं के पोषाहार व स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, परिवार–कल्याण, गृह–प्रबंधन, शिशु –देखभाल, परिपक्व आयु में शादी आदि के बारे में जागृति उत्पन्न करना
- 11–15 वर्ष की आयु की लड़कियों को बालिका मंडल बनाकर जानकारी देना
- व्यावहारिक ज्ञान के लिए इन लड़कियों को आंगनवाड़ी कार्यो से जोड़ना
- बलिकाओं को 5 रू. प्रतिदिन के हिसाब से पूरक पोषाहार भी दिया जाता हैं

लाडली योजना

- लड़कियों को जीने का अधिकार प्रदान करने व परिवार में उनके स्तर को बढ़ानें में सहायक
- सभी परिवार जिनकी दूसरी संतान भी लड़की है व जिसका जन्म 20 अगस्त 2005 के बाद हुआ हो, योजना के लाभार्थी है
- 5000 रू. की राशि प्रति वर्ष 5 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है
- माता व दूसरी बच्ची के संयुक्त नाम से किसान विकास पत्र खरीद दिए जाते है
- राशि की प्राप्ति बच्ची की 18 वर्ष की आयु होने के उपरान्त होती है
- दोनो बच्चियों का जन्म पंजीकरण व टीकाकरण आवश्यक है
- दोनो बच्चियों का स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्रो में नामांकन होना चाहिए
- स्कीम के लिए आवेदन फार्म आंगनवाड़ी केन्द्र या सी.डी.पी.ओ. कार्यालय से मुफ्त मिलता है
- यह योजना अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग सभी के लिए उपलब्ध है

मैंचिंग ग्रांट स्कीम

आंगनवाड़ी भवन निर्माणः– सरकार द्वारा आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिये 3.44 लाख रू. का योगदान बशर्ते पंचायत 200 वर्गगज भूमि उपलब्ध कराए।

इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना

इस योजना के अर्न्तगत समाज के सभी वर्गो की लड़कियों की शादी हेतु अनुदान दिया जाता है।

पात्रता की शर्ते

- प्रार्थी का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों (बी.पी.एल.) की सूची मे दर्ज हो।
- लड़की की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- यह अनुदान एक व्यक्ति की दो लड़कियों की शादी तक दिया जाता है।
- विधवा/तलाकशुदा महिला स्वयं के पुनर्विवाह हेतु भी अनुदान प्राप्त कर सकती है।
- यदि किसी कारणवश शादी की तिथि से पूर्व प्रतिवेदन न दिया हो तो कारण स्पष्ट करते हुए शादी के बाद भी प्रतिवेदन दिया जा सकता है।

अनुदान की दरें

- अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति तथा सभी वर्गो की विधवाएं 31,000/-रू.
- समाज के अन्य वर्ग के लिये 11,000/-रू.

ग्राम शिक्षा समिति (वी.ई.सी.)

हरियाणा सरकार ने ग्राम स्तर पर ग्रामीण शिक्षा समितियों के गठन के लिए दिनांक 11.09.2002 को राजकीय अधिसूचना जारी करके इसके तहत प्रत्येक गांव में ग्राम शिक्षा समिति बनाने का निर्देश जारी किया है ।

इन ग्राम शिक्षा समितियों का दायरा बहुत व्यापक है । यह शिक्षा समिति गांव को सम्पूर्ण रूप से शिक्षित बनाने हेतु जवाबदेह होगी । गांव में जो साक्षर नही है उन्हे साक्षर बनाने की जिम्मेदारी भी शिक्षा समिति पर होगी ।

मुख्य उद्देश्य

- पंचायत राज एक्ट के तहत यह समुदाय की ऐसी लोकतान्त्रिक व्यवस्था है जो गांव में शिक्षा के विकास में रूचि रखने वाले जागरूक, मेहनती एवं ईमानदार व्यक्तियों को ग्राम सभा की सहमति से इसमें शामिल होने का अवसर प्रदान करती है
- समाज के वंचित वर्ग – मजदूर, किसान, महिला, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को समुचित प्रतिनिधित्व देकर उन्हें न केवल मुख्य धारा से जोड़ती है, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णय लेने का अधिकार भी देती है
- गांव को सम्पूर्ण शिक्षित गांव बनाने के लिए विशेष रूप से जवाबदेही होती हैं
- गांव के 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चे स्कूल पढ़ने जायें और कम से कम कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई पूरी करें
- गांव में स्कूल सही ढंग से संचालित हो रहे है या नहीं पर निगरानी
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी योजना क्यों न बन जाये, जब तक वहां के लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक वह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती
- सर्व शिक्षा अभियान में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के विकास के लिए कार्य ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपा गया है ताकि गांव के लोग योजना खुद बनाएं व बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझें
- पंचायती राज के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगी

गठन

सभी सदस्यों का चयन निश्चित तिथि को बुलाई गई ग्राम सभा की बैठक में सामूहिक सहभागिता से आपसी समझबूझ के द्वारा किया जाता है

कुल सदस्य – 11–15

समिति के पद	संख्या	सदस्यों का विवरण
सदस्य सचिव	1	विद्यालय का मुखिया (एक से अधिक विद्यालय होने पर वरिष्ठतम मुखिया)
सदस्य	1	प्रत्येक विद्यालय से एक अध्यापक अध्यापिका (गांव में एक से अधिक विद्यालय है तो सभी से एक – एक अध्यापक/अध्यापिका को लिया जाएगा)
सदस्य	1	भूतपूर्व सैनिक
सदस्य	1	नम्बरदार (पंचायत द्वारा मनोनीत)
सदस्य	1	महिला आंगनवाड़ी या बालवाड़ी कार्यकर्ता
सदस्य	4	अभिभावक शिक्षक संघ (यदि एक से अधिक विद्यालय हो तो प्रत्येक से एक सदस्य)
सदस्य	2	पंचायत सदस्य (पंचायत द्वारा मनोनीत एक पुरूष एक महिला)

- महिलाओं की प्रतिभागिता कम से कम 50 प्रतिशत
- समिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव स्वयं करेगी
- एक सदस्य अनुसूचित जाति से होना चाहिए
- महीने में कम से कम एक बैठक अवश्य करना
- आवश्यकता हो तो 11 से 15 सदस्यों के अलावा अन्य विशेष आमन्त्रित सदस्य भी ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य बनाये जा सकते हैं

- **कार्यकालः**– 2 वर्ष, दूसरे वर्ष के अंतिम महीने में आम सभा द्वारा नई समिति का गठन नियमानुसार कर लिया जाना अनिवार्य है
- ग्राम शिक्षा समिति के सचिव का समिति के प्रधान के साथ संयुक्त खाता गांव के बैंक या डाकघर में होगा। सभी ग्रांट की राशियां जो सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालय को दी जा रही हैं, खर्च करने से पहले खाते में जमा करवानी होगी

- **बैठक के दिशा निर्देशः**– महीने का एक दिन और समय निश्चित कर दिया जाए व बदलाव तभी हो, अगर निश्चित तिथि के दिन अवकाश हो
- समिति की बैठक स्कूल समय में छुट्टी से 1 घंटा पहले की जाए
- प्रत्येक बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट तैयार की जाए व इसको एक कार्यवाही रजिस्टर में लिखा जाए व पिछली बैठक के फैसलो पर किए गए कार्यो की समीक्षा की जाए व उसके अनुसार अगली योजना बनाई जाए
- बैठक बुलाने का दायित्व सचिव का होगा जो अध्यक्ष की सहमति से बैठक बुलाएगा व स्कूल को मिलने वाली सभी ग्रांट का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की सहमति से होगा तथा इसे कार्यवाही रजिस्टर में लिखा जायेगा
- सर्व शिक्षा अभियान में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों में से बारी – 2 से प्रत्येक वर्ष सदस्यों को 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे सदस्य अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बन सकें
- ग्राम शिक्षा समिति को ग्राम सुधार समिति भी कहा जा सकता है क्योंकि ग्रामीण शिक्षा की स्थिति में सुधार के साथ – 2 सभी प्रकार के शैक्षिक विकास इसकी परिधि में आते है

कार्य

- शिक्षा में गुणात्मक सुधारः– शत–प्रतिशत नामांकन, पढाई में कमजोर बच्चो के बारे में अध्यापक, मुख्याध्यापक के साथ विचार विमर्श करना
- विद्यालय न जाने वाले बच्चो के लिए वैकल्पिक केन्द्र खुलवाना तथा अन्य सुविधाओ की व्यवस्था करना
- 4 से 6 वर्ष के बच्चो को बचपन शाला में प्रवेश दिलवाने में सहायता करना
- ग्रामीण लोगो को शिक्षा का महत्व बताना , स्कूल न जाने वाले बच्चो का नामांकन करवाना तथा 8 वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी करने तक ठहराव सुनिश्चित करना
- विद्यालय में शिक्षा सुधार हेतु युवा मंडल, स्वास्थ्य सेविका, स्वयंसेवी संस्थाए, ग्राम पंचायत तथा शिक्षा अभिभावक संघ के सदस्यो का सहयोग लेना

- समिति के सदस्य यह सुनिश्चित करे कि अनुसूचित जाति की बालिकाओ का स्कूल में नामांकन व ठहराव हो, जिससे कि वंचित वर्ग की बालिकाओ को उचित स्थान मिल सके
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चो की डाक्टरो द्वारा जाँच करवाने के बाद उन बच्चो को विशेष सहायता उपकरण मुफ्त दिये जाते है, जिनकी सहायता से ये बच्चे अन्य सामान्य बच्चो के साथ पढ़ सके
- बच्चे जो किसी कारण से विद्यालय ना जा सकें, की शिक्षा के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र उनके निवास स्थान के पास खोले गये है व इन केन्द्रो पर अनुदेशको को लगाने का कार्य वी. ई.सी. द्वारा किया जाता है
- ग्राम शिक्षा समिति द्वारा ग्राम का सर्वेक्षण करना तथा स्कूल जाने वाले 6–14 वर्ष आयु वर्ग तक के सभी बच्चो के नामांकन की व्यवस्था करना
- पढाई बीच में छोड़ देने वाले तथा भविष्य में नामांकित होने वाले बच्चों का रजिस्टर में रिकार्ड रखना
- नामांकित बच्चे अपना पाठयक्रम पूरा करें, यह सुनिश्चित करना तथा उनके अभिभावको से सम्पर्क स्थापित करना

वी. ई.सी. द्वारा खर्च की जाने वाली ग्रांट

- रू. 5000/– स्कूल सुधार के लिए प्रति वर्ष
- रू. 7500/– स्कूल भवन के रख रखाव के लिए प्रति वर्ष

वी. ई. सी. द्वारा विद्यालय का पर्यवेक्षण व अवलोकन

- अध्यापको की उपस्थिति व उनके द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कार्य
- बच्चो की उपस्थिति तथा उनका उपलब्धि स्तर
- सर्व शिक्षा अभियान से मिलने वाली अनुदान राशि के खर्च व उपयोग
- विद्यालय में चल रही बचपनशाला की गतिविधियां
- गाँव में चल रहे वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की प्रगति
- विद्यालय मे हो रहे निर्माण कार्यो की देखरेख
- बच्चो के नामांकन की जाँच करे, विद्यालय मे वास्तविक बच्चो के अलावा फर्जी नामांकन न हो

सर्व–शिक्षा अभियान

2002–2003 से लागू किया गया

- 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चो को मुफ्त व जीवन उपयोगी अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो
- सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूरी कर लें
- संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को महत्व दिया गया हो पर बल देना
- स्त्री –पुरूष असमानता तथा सामाजिक वर्ग–भेद को 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना
- 2010 तक सभी बच्चो को स्कूल में बनाए रखना
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिलों को रखा गया है
- सर्व शिक्षा अभियान के तहत निधियों का खर्च का अनुपात इस प्रकार होता है

(1) सिविल वर्क (निर्माण कार्य)	33 प्रतिशत
(2) प्रबन्धन	6 प्रतिशत
(3) शैक्षिक कार्यक्रम	61 प्रतिशत

कार्य

- नए प्राईमरी स्कूल खोलना/ब्रांच प्राइमरी स्कूलों को पूर्ण प्राइमरी बनाना व दर्जा बढ़ाकर मिडिल करना
- आवश्यकतानुसार प्राईमरी स्कूल/मिडिल स्कूल के लिए भवन निर्माण व स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा कमरे, शौचालयों तथा पीने के पानी की व्यवस्था करना
- जो बच्चे स्कूल नही आ रहे है, उनके लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना
- 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल से बाहर शिक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना
- कक्षा 1 –8 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों तथा अनुसूचित जाति के लड़को को मुफ्त पाठ्य पुस्तके देना
- सभी राजकीय स्कूलों को प्रति वर्ष मरम्मत व रखरखाव के लिए 7500/– रू. की ग्रांट व स्कूल सुधार के लिए 5000/– रू. की ग्रांट
- कक्षा 1 – 8 में पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों को प्रति वर्ष 500/– रू. की ग्रांट ताकि वे कक्षा शिक्षण के लिए सहायक समाग्री जुटा सकें
- कक्षा 1 – 8 में पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों को 20 दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षण ताकि वे नवीन अवधारणाओं से अवगत हो सके

- विकलांग बच्चों की चिकित्सकीय जांच और इसके आधार पर उपकरण दिया जाना ताकि वे भी शिक्षा जारी रख सके
- लड़कियों/अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम व उन लड़कियो को साईकल दी जा रही है जो अपने गांव में मिडल स्कूल न होने के कारण दूसरे गांव मे जाकर कक्षा 6 में सरकारी स्कूल में दाखिला लेती हो
- कक्षा 1–8 की लड़कियों व अनुसूचित जाति के बच्चों को गरम जरसियां भी दी जाती है व शिक्षा में कमजोर बच्चो के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाती है
- कम्पयूटर से शिक्षा देने के लिए प्रति वर्ष हर जिले के 9 स्कूल में कम्पयूटर लगाए जाते है
- 3–6 वर्ष के बच्चों के लिये प्रत्येक जिले मे बचपन–शालाओं की स्थापना की गई है, ताकि उनके बड़े भाई बहनो को शिक्षा जारी रखने में कोई दिक्कत न आए
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण जिससे वे अपने दायित्वो से परिचित हो सके व शिक्षा के विकास का कार्य कर सके
- 6–14 वर्ष आयु के बच्चो के नामांकन एवं ठहराव के क्षेत्र में प्रत्येक जिले मे अच्छे प्रदर्शन के लिए एक पंचायत को प्रोत्साहन के रूप मे 50,000रू. का अनुदान (केवल एक बार)
- नये खोले जाने वाले प्राथमिक स्कलो मे शिक्षण में सहायक उपकरणो के लिए रू. 10000/– का अनुदान (केवल एक बार)

ग्रामीण निर्माण समिति (वी.सी.सी)

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में आधारभूत सुविधांए उपलब्ध करवाने के लिए कुल बजट का 33 प्रतिशत निर्माण कार्यो पर खर्च किया जाना है, जिसकी पूरी जिम्मेवारी ग्राम शिक्षा समिति पर है
- निर्माण कार्य के लिए ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में से ही एक उप समिति का गठन किया जाता है, जिसमें प्रधान सहित 5 सदस्य होते है तथा ये सदस्य ही सभी निर्माण कार्यो को पूरा करवाते है

समिति के पद	संख्या	सदस्यों का विवरण
1. प्रधान	1	ग्राम शिक्षा समिति का कोई भी पुरूष / महिला सदस्य
2. सचिव	1	विद्यालय का मुखिया
3. सदस्य	1	भूतपूर्व सैनिक / समाज सेवक
4. सदस्य	1	ग्राम शिक्षा समिति में से अनुसूचित जाति का सदस्य
5. सदस्य	1	ग्राम शिक्षा समिति द्वारा मनोनीत

निर्माण कार्य	प्रावधान
1. शौचालय – 1 (लड़के व लड़कियों के लिए अलग–2)	20,000 / – रू.
2. पेयजल सुविधा	15,000 / – रू.
3. स्कूल की मरम्मत का कार्य	5,000 / – रू.
4. स्कूल की चार दीवारी	अधिकतम सीमा 40,000 / – रू.
5. एक अतिरिक्त कमरें का निर्माण दो अतिरिक्त कमरों का निर्माण तीन अतिरिक्त कमरों का निर्माण	1,86,000 / – रू. 3,60,000 / – रू. 5,00,000 / – रू.

आवश्यक दिशा निर्देश

1. निर्माण समिति के प्रधान व विद्यालय के मुखिया के नाम से संयुक्त खाता डाकघर व बैंक में खोला जायेगा ।
2. निर्माण समिति निर्माण कार्य हेतु सामग्री की खरीदारी तथा मिस्त्री मजदूरों को लगाने में पूर्ण रूप से सक्षम है व किसी से भी मंजूरी की आवश्यकता नही है ।
3. समिति निर्माण कार्य के लिये बढ़िया क्वालिटी का सामान खरीदने के लिए कम से कम 3 कोटेशन लेगी तथा कम से कम कीमत पर बढ़िया सामान खरीदेगी ।
4. इकरार नामे का आपसी सहमति पत्र तैयार करना (MOU) ग्रामीण निर्माण समिति पहली किस्त लेने से पहले इकरार नामा (एग्रीमेन्ट) डी.पी.सी. के सामने दस्तखत करके देगी तथा इसके अनुसार सभी नियमों का पालन करेगी ।

5. ग्रामीण निर्माण समिति द्वारा निर्माण कार्य यदि निर्धारित नक्शे तथा निर्धारित रूप–स्वरूप के अनुसार कार्य न करवाया गया हो व घटिया सामान लगाया गया हो तथा पैसें का दुरूपयोग किया गया हो तो समिति के सभी सदस्यों के विरूद्व सरकारी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।
6. सभी वाउचरों पर ग्रामीण निर्माण समिति के प्रधान व ंमुखिया तथा सम्बन्धित जे.ई. के हस्ताक्षर अनिवार्य है ।

शिक्षक अभिभावक समिति (पी. टी. ए.)

1. अभिभावक शिक्षक समिति (पी.टी.ए) विद्यालय के प्रबंधन एवं प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
2. अभिभावक व शिक्षकों की बातचीत को कभी भी नजरदांज नही करना चाहिए
3. समुदाय में जागरूकता तथा स्वामित्व की भावना को बढाने के लिए उनकी बराबर की भागीदारी तथा अभिप्रेरण अत्यन्त आवश्यक है
4. मासिक आधार पर आयोजित इन समितियों की बैठकों के जरिये जहां एक ओर समुदाय को शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद मिली है वहीं दूसरी ओर एक ऐसे मंच का निर्माण हुआ है जहां शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सांझे रूप से विचार विमर्श किया जा सकता है तथा सुझाव दिये जा सकते हैं
5. प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार को, विद्याालय के प्रधानाचार्य द्वारा पी.टी.ए. की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए व इसमें स्टाफ के सभी सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए

मुख्य मुद्दे

- बच्चों द्वारा बीच में ही स्कूल छोड़ देने के कारण
- वर्तमान में शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता
- शिक्षा केन्द्रों को बेहतर रूप से चलाने में समुदाय का सहयोग किस रूप में हो
- घरेलू परेशानियां
- बच्चों का स्वास्थ्य
- आर्थिक समस्याएँ
- सभी बच्चे लगातार विद्यालय आएं व शिक्षकों को बच्चों की आदतों, रूचियों के बारें मे जानकारी प्राप्त हो
- अभिभावक शिक्षक समिति न सिर्फ शिक्षा को प्रभावशाली, उद्देश्य परक व अर्थपूर्ण बनाती है बल्कि अभिभावको व शिक्षको को विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे कि अनुशासनहीनता, हिसंक प्रवृति, नशे की लत इत्यादि को सुलझाने में भी मदद करती है,

विद्यार्थियों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाएँ

डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना

पात्रता की शर्ते :– छात्र अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग या कमजोर वर्ग से संबधित हो

- छात्र को 10वीं कक्षा मे 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त हो
- छात्र किसी सरकारी/प्राईवेट मान्यता प्राप्त विद्यालय में 11वीं कक्षा या पोलीटैक्निक/आई.टी.आई डिप्लोमा कोर्स के प्रथम वर्ष में पढ़ रहा हो
- प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति के 5000 छात्रों को
पिछड़ें वर्ग (ब्लाक ए) के 1000 छात्रों को
पिछड़ें वर्ग (ब्लाक बी) के 750 छात्रों को
- दर 1000/– रू. मासिक (प्रति वर्ष 10 मास के लिए)
- छात्र अपना आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकते है

महिला सेल

- प्रत्येक कॉलेज में महिला सेल की स्थापना महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए

रेमिडियल कोचिंग :– समाज के कमजोर वर्गो के बच्चों को विज्ञान, गणित व अंग्रेजी विषय में विशेष कोचिंग की सुविधा, मुख्यतः अनुसूचित जातियों पिछड़े वर्गो व अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए (कॉलेज स्तर पर)

- प्रत्येक वर्ष मे 3 महीने की कोंचिग प्रत्येक विषय में

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रोत्साहन स्वरूप योजना :– मुस्लिम विद्यार्थियों (लड़का व लड़की) को 500/–रू. स्टेशनरी के लिए व 1500/– रू. साईकिल के लिए (कॉलेज स्तर पर)

- माता/पिता/परिवार की वार्षिक आय 50,000/– रू. से अधिक नही होनी चाहिए
- साईकिल की राशि एक बार प्रदान की जाएगी (नामांकन के समय)
- 500/– रू. तीन सैशन में
- कक्षा 6 से 12 वीं के विद्यार्थियों को मुफ्त कम्पयुटर शिक्षा
- प्राइमरी, मिडल, सैंकडरी व सीनियर सैंकडरी शिक्षा की उपलब्धता क्रमशः 1.08 कि.मी., 1.29 कि.मी., 1.58 कि. मी. व 2.45 कि. मी. की परिधि में होगी ।

उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आर्थिक सहायता

- अनुसूचित जाति तथा पिछड़ें वर्गो के उम्मदीवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं (मैडिकल, इंजिनियरिंग, प्रवेश परीक्षा सहित) की तैयारी हेतु मुफ्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, बशर्तेः
- माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000/– रू. से अधिक न हो
- किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र दिया हुआ हो
- प्रार्थी इस उद्देशय के लिए प्राईवेट प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से दो प्रतियोगी परीक्षाओ हेतु क्लास रूम/पोस्टल कोंचिग का लाभ प्राप्त कर सकता है।

आर्थिक सहायता राशिः– 8000/– से लेकर 10,000/– रू. तक

राजीव गांधी छात्रवृति योजना

- प्रतिवर्ष 1000/– रू. 9वीं – 12वीं कक्षा में पढने वाले दो विद्यार्थियों (लड़का व लड़की) को जो कक्षा में प्रथम आएंगे ।
- प्रतिवर्ष 750/– रू. 6–8 कक्षा में पढ़ने वाले दो विद्यार्थियों (1 लड़का व 1 लड़की) को जो कक्षा में प्रथम आएं
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 11–14 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा की तरफ आकर्षित करने के लिए 6–8वी कक्षा की छात्राओं को स्कूल ड्रैस के लिए 500/– रू. वार्षिक का प्रावधान
- स्टेशनरी के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को 150/–रू. का प्रावधान
- आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग व अनुसूचित जाति की प्राइमरी कक्षा की छात्राओं को स्कूल में प्रत्येक महीने 70 प्रतिशत की उपस्थिति पर प्रोत्साहन स्वरूप 20/–रू. महीनें की राशि का प्रावधान

IRRAD™
Institute of Rural Research and Development
(An initiative of S M Sehgal Foundation)

Plot No. 34, Sector 44 Institutional Area, Gurgaon, Haryana 122002
Tel: +01-124-4744100 Fax: +91-124-4744123 E-mail: smsf@irrad.org
Web: www.irrad.org